समाज सुधारक
बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर
का जीवन संघर्ष

M.A., M.Sc., Ph.D., D.Sc., L.L.D, D. Lit, Barrister-At-Law

नि:शुल्क वितरण

समाज सुधारक
बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर का
जीवन संघर्ष

अत्त दीपो भव

SAGAR

Social Action Groups forAmbedkarite Reform

प्रथम संस्करणः 22 जुलाई 2022

सागर द्वारा निशुल्क वितरण

रचनाः महान समाज सुधारक बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष

द्वारा प्रकाशित

SAGAR

Social Action Groups forAmbedkarite Reform

प्रस्तावना

महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हजारों वर्षों से मानव अधिकारों से वंचित संपूर्ण दलित समाज व नारी को अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने न केवल उनको अधिकार दिलाए बल्कि संविधान में लिखकर इन अधिकारों को संरक्षण भी प्रदान किया। इसके लिए भारत का संपूर्ण बहुजन समाज व समस्त भारत बाबा साहब के उपकारों का सदा ऋणी रहेगा।

यह पुस्तक बाबा साहब के संपूर्ण जीवन के महान कार्यों और विचारों का एक संकलन है, जो कि विभिन्न वॉल्यूम से एकत्रित करके सरल भाषा में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग बाबा साहब के संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व व विचारों से परिचित हो सकें।

यह आशा की जाती है कि यह पुस्तक बाबा साहब के मिशन के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।

SAGAR का मुख्य उद्देश्य बाबा साहब के विचारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी प्रयास में इस पुस्तक का निशुल्क वितरण किया जा रहा है।

-SAGAR

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	iii
	विषय सूची	iv
1.	जन्म	2
2.	बचपन	2
3.	अंबेडकर उपनाम	2
4.	स्कूल में दाखिला और छुआछात से सामना	3
5.	मैट्रिक पास	5
6.	भीमराव का विवाह	5
7.	उच्च शिक्षा	6
8.	लेफ्टिनेंट अंबेडकर	7
9.	अमेरिका में शिक्षा	8
10.	अंबेडकर डॉक्टर बन गए	10
11.	लंदन में शिक्षा	10
12.	बड़ौदा स्टेट में सैन्य सचिव	11
13.	प्रोफेसर अंबेडकर	14
14.	डॉ. अंबेडकर का मताधिकार पर साउथबॉरो समिति के समक्ष साक्ष्य (Evidence)	15
15.	मूक–नायक का प्रकाशन	16
16.	बहिष्कृत हितकारिणी सभा	17
17.	समता सैनिक दल	17
18.	बहिष्कृत भारत	18
19.	मुंबई विधान सभा में	18

20. महाड़ आंदोलन 19

21. मनुस्मृति दहनः 25 दिसंबर 1927 22

22. कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 25

23. साइमन कमीशन 26

24. पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 27

25. दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 29

26. कम्युनल अवॉर्ड, पृथक-चुनाव प्रणाली (Separate Electorate) ... 30

27. पूना पैक्ट 31

28. भारत सरकार अधिनियम 1935 में डॉ. अंबेडकर का योगदान 33

29. माता रमाबाई का निधन 33

30. पुस्तक प्रेमी डॉ. अंबेडकर 33

31. हिन्दू धर्म के त्याग कि घोषणा 34

32. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना 34

33. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन 35

34. क्रिप्स मिशन के समक्ष दलितों का पक्ष 35

35. वायसराय की कार्यकारिणी काउंसिल में लेबर मेंबर 36

36. बाबा साहब का लॉर्ड लिनलिथगो को ज्ञापन 38

37. कैबिनेट मिशन और बाबा साहब 39

38. संविधान सभा का चुनाव 40

39. भारत के प्रथम कानून मंत्री 41

40. संविधान सभा के मुख्य शिल्पकार 41

41. संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा में प्रस्तुत 42

42. संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान 44

43. नारी सशक्तिकरण के प्रणेता 45
44. भारतीय ध्वज में अशोक चक्र 46
45. पीपल्स एजुकेशन सोसायटी की स्थापना 46
46. बुद्ध धम्म की ओर 47
47. बुद्ध धम्म ही क्यों? 50
48. चौथे बौद्ध सम्मेलन में संबोधन 51
49. महापरिनिर्वाण - 6 दिसंबर 1956 51

बोधिसत्व बाबा साहब डॉ. बी.आर. आंबेडकर

M.A., M.Sc., Ph.D., D.Sc., L.L.D, D. Lit, Barrister-At-Law

1. जन्म

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के दादा जी मालोजी सकपाल ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में हवलदार थे। उनकी चार संतानें हुईं जिनमें रामजी राव सकपाल चौथी संतान थे। रामजी राव सकपाल भी ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए। अपनी मेहनत और लगन से उन्नति करते हुए वह सूबेदार मेजर के पद तक पहुंच गए। सैनिक अधिकारियों ने रामजी राव सकपाल को शिक्षा में डिप्लोमा होने के कारण सैनिक छावनी के स्कूल में हैडमास्टर के पद पर नियुक्त कर दिया। इस पद पर उन्होंने 14 वर्ष तक काम किया।

सूबेदार रामजी राव सकपाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावडे नामक गांव के मूल निवासी थे। जब सूबेदार रामजी राव सकपाल मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी "मिलिट्री हैड क्वार्टर ऑफ वार" (MHOW) महू में तैनात थे तो वहीं 14 अप्रैल 1891 को बालक भीमराव का जन्म माता भीमाबाई की कोख से हुआ। भीमराव अपने माता पिता की चौदहवीं संतान थे। बड़े होकर कभी-कभार वे कहा भी करते थे कि "मैं अपने माता-पिता का चौदहवां रत्न हूं।" उनके सभी भाई बहनों में केवल पांच ही जीवित रहे: बलराम, आनंदराव, मंजुला, तुलसी और भीम।

2. बचपन

सेना में 25 वर्ष की नौकरी के पश्चात 1894 में भीमराव के पिता जी सूबेदार रामजी राव सकपाल सेवानिवृत्त हुए। सूबेदार जी परिवार सहित अपने पैतृक गांव अंबावडे के निकट काप-दापोली कस्बे में रहने के लिए गए। उनका परिवार कबीरपंथी था। वहां का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगा तथा बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी इसलिए उन्होंने मुंबई रहने का निर्णय लिया।

भीमराव जब छोटे थे तो उनकी माता भीमाबाई का निधन हो गया। भीम को अपनी माता के अचानक निधन पर गहरा दुख पहुंचा। भीम कई दिनों तक शोक में डूबे रहे। माता भीमाबाई की याद आने पर लंबे समय तक वे रोते रहते थे। भीमराव बाल अवस्था में ही मां के प्यार-दुलार से वंचित हो गए थे।

3. अंबेडकर उपनाम

महाराष्ट्र के लोग अपना उपनाम बनाने के लिए अपने गांव के पीछे 'कर' शब्द लगा देते थे। चूंकि भीम का प्रारंभिक गांव अंबावडे था इसलिए गांव के नाम के साथ 'कर' लगाने से भीम का उपनाम अंबावड़ेकर बन गया। अंबावड़ेकर बाद में अंबेडकर बन गया। बाद में एक अध्यापक ने यही अंबेडकर उपनाम स्कूल के रजिस्टर में दर्ज कर लिया और उनके नाम के पीछे अंबेडकर लगने लगा।

4. स्कूल में दाखिला और छुआछात से सामना

पिता रामजी राव सकपाल अपने बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ाना चाहते थे। वे बालक भीम को भी खूब पढ़ाना चाहते थे। लेकिन हिंदू समाज के अमानवीय नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखकर भीम की इच्छा भी स्कूल जाने की होती थी। स्कूल जाने लिए बालक भीम बार–बार पिताजी से जिद किया करता था। लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए सकपाल जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। काप–दापोली में कुछ समय रहने के बाद जब वे सातारा आए तो वहां भी स्कूल में अछूतों का दाखिला असंभव था। इस घोर अन्याय को भोगते हुए वे दुखी थे। रामजी राव सकपाल मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है? आखिर ऑफिसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सातारा के 'आर्मी कैंप हाई स्कूल' में भीमराव को दाखिला मिल गया। बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल जाने लगा।

स्कूल में भेदभाव और छुआछात की प्रथा के कारण भीमराव को स्कूल में अन्य छात्रों से अलग बैठना पड़ता था। भीमराव और उनके भाई आनंदराव बैठने के लिए टाट भी अपने घर से लेकर जाते थे। भीमराव को क्रिकेट खेलने का शौक था परंतु उन्हें अन्य छात्रों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। छुआछात और सामाजिक असमानता के आधार पर हुए अपमान के कारण जो घाव भीम के हृदय पर लगे थे वे जीवनभर उनको भुला नहीं पाए। इसी कारण वे धर्म पर आधारित अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे।

सूबेदार रामजी राव सकपाल नौकरी के कारण कोरेगांव रहने लगे थे। एक दिन भीम, उनके बड़े भाई और उनका छोटा भांजा सातारा से कोरेगांव की ओर रवाना हुए। भीम ने अपने आने की सूचना अपने पिता जी सूबेदार जी को पहले ही पत्र के माध्यम से दे दी थी, परंतु किसी कारणवश वह पत्र सूबेदार जी को नहीं मिल सका।

जब बच्चे मसूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो अपने परिचित किसी भी व्यक्ति को स्टेशन पर ना देखकर चिंता ग्रस्त हो गए। कोरेगांव तो जाना ही था परंतु बच्चों को अपनी गाड़ी में ले जाने से सभी गाड़ीवालों ने इंकार कर दिया। अंत में एक गाड़ीवाला दोगुना किराए में और इस शर्त पर तैयार हो गया कि वह स्वयं पैदल चलेगा और बच्चों में से किसी को गाड़ी चलानी पड़ेगी। आनंदराव ने गाड़ी चलाई। शाम से लेकर आधी रात तक बच्चे भूखे प्यासे ही यात्रा करते हुए घर पहुंचे। जब भी उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो सवर्ण हिंदुओं ने गंदे पानी के जोहड़ की ओर संकेत किया। इस दिन बालक भीम को अनुभव हुआ कि वह ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जिसे स्वच्छ पानी पीने का भी

अधिकार नहीं है। भीम स्कूल में अपमान तो सह ही रहे थे परंतु इस दुर्घटना ने उनके दिल को झकझोर दिया। उन्हें भली प्रकार पता लग गया कि लाखों की संख्या में अछूत किस प्रकार पशुओं से भी बुरी अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाल्यकाल में जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ उसी के फलस्वरुप उन्होंने अपने जीवन में इस व्यवस्था को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। क्योंकि इस व्यवस्था में मनुष्य का मूल्यांकन उसके जन्म और जाति के आधार पर ही किया जाता है।

स्कूल में प्यास लगने पर कोई सवर्ण विद्यार्थी दूर से भीम के हाथों में पानी डाल देता तो वे पानी पी लेते अन्यथा सारा-सारा दिन प्यासे ही रहते। एक बार एक सार्वजनिक कुएं से पानी पीने के कारण भीम की बहुत पिटाई हुई थी। बचपन में भीम का बार-बार अपमान हुआ।

पढ़ाई के दौरान स्कूल की पुस्तकों के अतिरिक्त भीमराव को दूसरी पुस्तकें पढ़ने का भी शौक था। उनके इस विचार ने उन्हें भावी जीवन में एक महान विद्वान बना दिया। सूबेदार जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, परंतु फिर भी वे भीमराव को पुस्तकें खरीद कर देते थे। आर्थिक दुर्बलता के कारण वे कई बार गहने बेचते, अपना सामान गिरवी रखते और ब्याज पर भी रुपए उधार लेते परंतु भीमराव को पुस्तकें तथा पढ़ाई का सामान अवश्य खरीद कर देते। प्रारंभिक शिक्षा भीमराव ने अभाव और निर्धनता में ही की।

1904 में सूबेदार जी ने भीमराव का दाखिला मुंबई के 'एलफिंस्टन हाई स्कूल' में करवा दिया। वे उनकी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए। सूबेदार जी भीमराव को रात्रि को शीघ्र ही सुला देते थे और स्वयं रात्रि को दो बजे तक जागते थे, दो बजे सूबेदार जी भीमराव को जगा देते और दो बजे से लेकर भीमराव दिन निकलने तक पढ़ाई में मग्न रहते। सूबेदार जी परिवार सहित एक पुरानी चाल में परेल (मुंबई में एक मजदूर बस्ती) में रहते थे। उनके पास एक ही कमरा था। इसी एक कमरे में घर का सारा सामान कपड़े, बर्तन, ईंधन, करियाना भी होता था। वही कमरा रसोईघर के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। भीमराव इसी कमरे में सोते और पढ़ते थे।

एलफिंस्टन हाई स्कूल में भी भीमराव के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऊंची जाति के विद्यार्थी अपनी रोटियां वाले डिब्बे ब्लैक बोर्ड के पीछे रखा करते थे। एक दिन अध्यापक ने भीमराव को बोर्ड पर कुछ लिखने को कहा, भीमराव अभी बोर्ड की ओर चले ही थे कि विद्यार्थियों ने शोर मचा दिया, "ठहर जाओ, हमें रोटी के डिब्बे उठा लेने दो" जब तक विद्यार्थियों ने रोटी के डब्बे नहीं उठा लिए भीमराव को बोर्ड के पास तक नहीं जाने दिया गया। एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक भीमराव को चिढ़ाकर कहने लगे, "अरे तू तो महार है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा" भीमराव यह अपमान सहन न कर सके, वह बब्बर शेर की भांति अध्यापक पर गरज पड़े, "सर पढ़ लिखकर मैं क्या करूंगा, यह पूछना आपका काम नहीं है, यदि पुनः आपने कभी भी मेरी जाति का उल्लेख करके

मुझे चढ़ाया तो मैं कह देता हूं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा"। भीमराव बचपन से ही स्वाभिमानी, साहसी और निडर थे।

एलफिंस्टन हाई स्कूल में भीमराव के साथ एक और अन्याय हुआ जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सके। भीमराव संस्कृत विषय पढ़ना चाहते थे। परंतु स्कूल के अध्यापकों ने उन्हें संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर भीमराव को फारसी पढ़नी पड़ी।

5. मैट्रिक पास

जाति अभिमानियों के साथ टकराते हुए, निर्धनता और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए, प्रत्येक अत्याचार, अपमान और संकट का सामना करते हुए सन 1907 में भीमराव ने एलफिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। उस समय एक अछूत का मैट्रिक पास कर लेना एक साधारण बात नहीं थी। मुंबई में दलितों ने भीमराव का साहस बढ़ाने के लिए और उन्हें बधाई देने के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभा में सूबेदार जी ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि भले ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलवा कर ही रहूंगा।

6. भीमराव का विवाह

विवाह की प्रथा के अनुसार भीमराव की सगाई हो गई परंतु पिता सूबेदार जी को भीमराव की पढ़ाई का हर समय विचार आता था और वह अपनी गलती को महसूस करते थे। अतः उन्होंने मंगनी तोड़ दी। इस अपराध में महारों की पंचायत में सूबेदार राम जी राव को पांच रुपए का अर्थदंड किया जो उन्हें भरना पड़ा। कुछ समय पश्चात भीमराव का विवाह 4 अप्रैल 1906 को रमाबाई के साथ संपन्न हुआ। भीमराव की पत्नी रमाबाई अपने पिता भिक्कु वलंगकर की दूसरी पुत्री थी जो काप-दापोली में कुली का काम किया करते थे। विवाह से पूर्व ही पिता जी का साया रमाबाई के सिर से उठ चुका था।

7. उच्च शिक्षा

सूबेदार रामजी राव ने अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए उत्साह, प्रेरणा एवं साहस प्रदान किया, शायद वे जानते थे कि बड़े होकर भीमराव अंबेडकर करोड़ों वंचितों का उद्धार करेंगे।

30 जनवरी 1908 को अंबेडकर मुंबई के एलफिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई आरंभ की परंतु बीमार हो जाने के कारण उनका एक वर्ष खराब हो गया और अगले ही वर्ष 1910 में उन्होंने इंटर आर्ट्स (एफ.ए.) पास कर लिया। एक ओर भीमराव अंबेडकर की ज्ञान प्राप्ति की भूख लगातार बढ़ती ही जा रही थी, वहीं दूसरी ओर सूबेदार जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। उनमें अंबेडकर को उच्च शिक्षा दिलवाने का सामर्थ्य नहीं रहा था। भीमराव के जीवन पर आर्थिक कठिनाइयों के काले बादल छा गए थे। ऐसा लगता था कि अब सूर्य को चमकने का अवसर नहीं मिलेगा, परंतु शीघ्र ही ये बादल छंट गए। बड़ौदा रियासत के महाराजा शियाजी राव गायकवाड ने उनकी ओर अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। उन्होंने भीमराव को बी.ए. करने के लिए मासिक छात्रवृत्ति नियत कर दी और भीमराव एलफिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे।

महाराजा सयाजीराव गायकवाड जो कि एक शूद्र राजा थे, उन्होंने दबे और पिछड़े वर्गों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थान बनवाए। इसी के तहत उन्होंने परिश्रमी और योग्य छात्रों के लिए आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति) की घोषणा की, जिसका फायदा भीमराव को हुआ।

एक अछूत का कॉलेज में दाखिल होना उस समय एक अनहोनी सी बात थी। अंबेडकर के लिए कॉलेज में नया वातावरण विद्या प्राप्ति का एक ऐसा अवसर था जो उस समय किसी को कम ही प्राप्त होता था, परंतु कॉलेज में भी छुआछात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।

एलफिंस्टन कॉलेज के कैंटीन का मालिक एक ब्राह्मण था। इसलिए भीमराव अंबेडकर को कैंटीन से पानी या चाय आदि नहीं दी जाती थी। भीमराव अंबेडकर रूढ़िवादियों की ओर से किए गए अपमान का मुकाबला करते हुए विद्या प्राप्ति की मंजिलें तय करते गए।

सूबेदार रामजी राव ने अपने पुत्र की पढ़ाई का ध्यान करते हुए अपना निवास स्थान बदल लिया। उन्होंने परेल मुंबई की इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चाल के दो कमरे पचास और इकावन नंबर किराए पर ले लिए। पचास नंबर कमरा बच्चों की पढ़ाई के लिए और बैठक के रूप में प्रयोग किया जाता था और दूसरा कमरा घरेलू कामों के लिए। इससे भीमराव को पढ़ने के लिए शांत वातावरण मिल गया। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एलफिंस्टन कॉलेज से उन्होंने बी.ए. की परीक्षा अर्थशास्त्र और राजनीतिक विषय में पास की।

8. लेफ्टिनेंट अंबेडकर

जनवरी 1913 में भीमराव अंबेडकर बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। अभी भीमराव अंबेडकर को भर्ती हुए लगभग 15 दिन ही बीते थे कि उन्हें मुंबई से सूबेदार जी के बीमार होने का तार पहुंचा। तार मिलते ही अंबेडकर बड़ौदा से मुंबई को चल पड़े। वह सूरत रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी के लिए मिठाई आदि खरीदने के लिए उतरे। उन्हें कुछ समय लग गया और गाड़ी निकल गई। इसलिए भीमराव अंबेडकर को दूसरे दिन सूरत से चलना पड़ा। दूसरे दिन जब अंबेडकर घर पहुंचे तो सूबेदार जी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। बीमारी नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अंबेडकर भरे मन से अपने पिताजी की ओर देखते रहे।

सूबेदार जी बहुत दुर्बल हो चुके थे। उनमें अब बीमारी का मुकाबला करने की क्षमता नहीं रही थी। अंत में 2 फरवरी 1913 को अंतिम दिन आ पहुंचा। सूबेदार जी ने अपनी गिरती हुई आंखों से भीमराव को देखा उनकी पीठ थपथपाई और फिर अंतिम सांस ली। सूबेदार जी भले ही निर्धन थे परंतु उनका मन बहुत धनवान था। उनका हृदय नेकी, सच्चाई, उच्च नैतिकता और मानवीय करुणा से भरा हुआ था।

सूबेदार जी ने जीवन भर संकटों का सामना किया था परन्तु वह दृढ़ता और बहादुरी की प्रतिमा थे। भीमराव अंबेडकर में जो अथाह साहस, हिम्मत, निर्भयता, भलाई की भावना, अधिकार प्रियता एवं देश-भक्ति के अनुपम गुण थे, वह सब सूबेदार जी की ही देन थी।

सूबेदार जी स्वयं तो सदा के लिए विदा हो गए थे परंतु करोड़ों लोगों के नेतृत्व के लिए एक ऐसा महान व्यक्तित्व दे गए, जिसने ठुकराई हुई जनता को हृदय से लगाया, जो दीन-दुखियों व उपेक्षित जनता की आस, बेसहारों का आश्रय, करोड़ों वंचित लोगो का मार्गदाता बना। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्दों में "नेता तो उसे ही कहा जा सकता है जो

आशा जगाए", अंबेडकर ने सदियों से पीड़ित, उपेक्षित, शोषित और अपमानित जनता के जीवन में आशा की किरण जगाई।

9. अमेरिका में शिक्षा

बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड ने कुछ योग्य लड़कों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजने की घोषणा की। इसके तहत महाराजा ने चार लड़कों का चयन किया, जिनमें से एक भीमराव अंबेडकर थे। 4 जून 1913 को अंबेडकर ने बड़ौदा स्टेट के शिक्षा मंत्री के समक्ष एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए। जिसमें यह वचन दिया गया था कि शिक्षा प्राप्ति के पश्चात अंबेडकर 10 वर्षों के लिए बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। भीमराव अंबेडकर के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए 11.5 पाउंड की राशि हर महीने के लिए जून 1913 से जून 1916 तक के लिए मंजूर की गई।

जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क (अमेरिका) पहुंच गए और वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान (Political Science) विभाग में एम.ए. में दाखिला ले लिया।

अंबेडकर भारत में संकीर्ण, ईर्ष्या और घृणापूर्ण वातावरण में से निकलकर गए थे। स्कूल, कॉलेज और समाज, प्रत्येक स्थान पर उनका अपमान किया गया था, परंतु अमेरिका का वातावरण बड़ा उदार, प्रेमपूर्ण और समानता पर आधारित था। वह प्रत्येक के साथ खा पी सकते थे। प्रत्येक स्थान पर बैठ सकते थे। उनके साथ कोई घृणा नहीं कर सकता था। ना ही उन्हें नीच अथवा अछूत कहकर कोई पुकार सकता था। उनके लिए अमेरिका एक नया ही संसार था।

भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. में छात्र के रूप में
(जुलाई 1913 - जून 1916)

अंबेडकर का हृदय अमेरिका के स्वच्छंद, समृद्ध और उदार पूर्ण वातावरण को देखकर तथा दूसरी ओर भारत के जातिवादी व भेदभाव पूर्ण वातावरण को देखकर दुखी हो उठा। अपने इस अनुभव को उन्होंने 4 अगस्त 1913 को लिखे पत्र में वर्णन किया है– "हमें पूर्व जन्म और पूर्व कर्म के सिद्धांत को त्याग देना चाहिए। यह भी गलत है कि माता–पिता बच्चे को केवल जन्म ही देते हैं, भविष्य नहीं। माता–पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं यदि इस सिद्धांत पर चलने लग जाएं तो हम अति शीघ्र शुभ दिन देख सकते हैं और यदि हम लड़कों के साथ–साथ लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने लग जाए तो हम शीघ्र प्रगति कर सकते हैं। इसलिए आपका मिशन होना चाहिए कि जो भी आपके आस–पड़ोस में है उन्हें समझाएं कि पढ़ो और विद्वान बनो।"

इस प्रकार के क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचार थे भीमराव अंबेडकर के, जबकि उनकी आयु उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने कर्म के संकीर्ण सिद्धांत की कटु आलोचना करनी आरंभ कर दी थी। यही तो वह सारहीन सिद्धांत है जिसने भारत के करोड़ों लोगों को अपाहिज, निष्क्रिय, साहसहीन व गुलाम बना रखा है। किसी की इज्जत लूटी जाए तो वह ईश्वर की लीला मान कर मौन हो जाता है। कोई भूखा और बिना इलाज के ही बिन आई मौत मर जाए तो उसके संबंधी भी बस यह कहकर स्वयं को सांत्वना दे लेते हैं कि यह दुर्दशा उनके पूर्व जन्मों का ही फल है। करोड़ों भारतीय अंधविश्वास का शिकार हैं। यही कारण है कि उनका जीवन दुखों से भरा है। किसी निर्धन मेहनती व्यक्ति ने कभी यह भी सोचा है कि यह उत्पीड़न, अत्याचार क्या उन्हीं के भाग्य में लिखा है? मानवता को गुलाम बनाए रखने के लिए और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनसाधारण के मस्तिष्क को अज्ञानता से भरने वाले पुरोहित लोग ही इस प्रकार के सिद्धांतों के जन्मदाता है। गरीब और गुलाम बनाए रखने के लिए ही पुरोहितवाद ने यह जाल फैला रखे हैं। अब समय आ गया है कि उनका पर्दाफाश करके तहस–नहस कर दिया जाए, यही समय की मांग है।

अंबेडकर हमेशा पढ़ाई में ही मग्न रहते थे। उन्होंने अमेरिका में रहते हुए बहुत कठिन परिश्रम किया। उन्होंने सिनेमा, राग–रंग और बाजार आदि में घूमने–फिरने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। अंबेडकर केवल डिग्री ही प्राप्त करना नहीं चाहते थे, बल्कि वह तो ज्ञान और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। अंबेडकर दिन में लगातार 18 घंटे पढ़ा करते थे। भूख मिटाने के लिए कई बार वह केवल एक कप चाय पी कर ही काम चला लेते थे। अंबेडकर को महाराजा बड़ौदा की ओर से निश्चित की गई छात्रवृत्ति में से प्रतिमाह घर को भी कुछ रुपए भेजने पड़ते थे। इसलिए बड़े ही संयम से रहना पड़ता था। उन्होंने पढ़ाई में दिन–रात एक कर दिया। कभी–कभी अंबेडकर पढ़ाई में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें भोजन की भी सुध न रहती। पुस्तकालय अध्यक्ष उन्हें ढूंढ–ढूंढ कर पुस्तकालय में से बाहर आने का निवेदन करते।

10. अंबेडकर डॉक्टर बन गए

अमेरिका में भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक शास्त्र (Political Science), नैतिक दर्शनशास्त्र (Moral Philosophy), मानव विज्ञान (Anthropology), समाज विज्ञान (Sociology) और अर्थशास्त्र (Economics) आदि विषय पढ़े। दो वर्ष के अनुसंधान के बाद अंबेडकर ने 1915 में 'प्राचीन भारतीय व्यापार' (Ancient Indian Commerce) नामक पुस्तक लिखकर एम.ए. की डिग्री प्राप्त की। मई 1916 में 'भारत में जातियां, उनकी संरचना, उत्पत्ति और विकास' (Castes in India their Mechanism Genesis and Development) नामक शोध पत्र लिखा जिसमें अंबेडकर ने कहा कि जाति एक प्रकार की बंद श्रेणी है यह मनु से भी पहले अस्तित्व में थी। जाति एक नहीं अपितु बहुसंख्या में है। इस लेख में अंबेडकर ने मनु को ढीठ मनुष्य और दुस्साहसी शैतान कहा है।

अंबेडकर का पीएच.डी. (Ph.D) का शोध ग्रंथ 'भारत का राष्ट्रीय लाभांश' (National Dividend of India) कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जून, 1916 में स्वीकार किया और उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) की उपाधि प्रदान की। अब भीमराव अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर बन गए। बाद में उनकी थीसिस का नाम बदलकर 'ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास' (The Evolution of Provincial Finance in British India) नाम से पुस्तक के रूप में छपी। यह प्रसिद्ध पुस्तक विधानसभा और केंद्रीय सभा के सदस्यों की जरूरत बन गई। जब भी किसी स्थान पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती तो इस पुस्तक में से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते। अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए तो यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।

11. लंदन में शिक्षा

डॉ. अंबेडकर की ज्ञान प्राप्ति की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सफलता प्राप्त करने के बाद डॉ. अंबेडकर ने लंदन की ओर रुख किया। वह जून 1916 में अमेरिका से रवाना हुए और कुछ ही दिनों में लंदन पहुंच गए।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए.

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
(जून 2016-अगस्त 1917)

लंदन पहुंचने के शीघ्र बाद डॉ. अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई के लिए 'ग्रेज इन' (विधि संस्थान) और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' (London School of Economics) में अक्टूबर 1916 में दाखिला ले लिया। लंदन में रहकर अंबेडकर ने कड़ी मेहनत की जिसके फलस्वरूप जून 1917 में अंबेडकर को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय जमाबंदी' (Provincial Decentralisation of Emperial Finance in British India) विषय के प्रबंध पर एम.एससी.(M.Sc.) की डिग्री प्रदान की और 'ग्रेज इन' ने उन्हें 'बैरिस्टर-एट-ला' की डिग्री भी प्रदान की। अंबेडकर जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी में भी अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए गए।

उन्होंने लंदन में अध्ययन जारी रखने के लिए महाराजा बड़ौदा से अनुमति प्राप्त कर ली थी। अर्थशास्त्र में वह गहन ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इसलिए प्रोफेसरों ने उन्हें 'डॉक्टर ऑफ साइंस' (Doctor of Science) की डिग्री की तैयारी करने की छूट दे दी। उन्होंने इस थीसिसः द प्रॉब्लम ऑफ रूपीः इट्स ओरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन (The Problem of Rupee : its Origin and its Solution.) पर काम करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उन्हें सूचित किया गया कि छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई है। बड़ौदा रियासत के दीवान ने उन्हें वापस बुलाने की सूचना भेजी। डॉ. अंबेडकर को जब यह सूचना मिली तो उन्हें बहुत निराशा हुई और उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा।

डॉ. अंबेडकर के मन में पढ़ाई पूरी करने का दृढ़ निश्चय था। इसलिए उन्होंने प्रोफेसर एडविन कैनन की सहायता से लंदन यूनिवर्सिटी से यह आज्ञा प्राप्त कर ली कि वे अक्टूबर 1921 तक पुनः अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। डॉ. अंबेडकर ने अपने जरूरी सामान जिसमें अधिकतर पुस्तके ही थी, का बीमा करवाया और फिर यह सामान 'मैसर्ज थॉमस कुक एंड कंपनी' को मुंबई पहुंचाने के लिए सौंप दिया।

जुलाई 1917 को डॉ. अंबेडकर भारत के लिए 'एस.एस. केसर-ए-हिंद' नामक समुद्री जहाज में सवार हुए। उस समय पहला विश्व युद्ध विनाश का भयानक रूप धारण कर चुका था। यात्रा करना भी खतरे से खाली नहीं था। इसी मध्य एक जहाज समुद्र में डूब गया। जब यह समाचार अंबेडकर के परिवार को मिला तो चारों ओर शोक छा गया। टेलीग्राम भेजे गए अंत में परिवार को यह जानकर खुशी हुई कि डॉ. अंबेडकर स्वयं तो 'एस.एस. केसर-ए- हिंद' में आ रहे हैं, उनका सामान अवश्य ही तबाह होने वाले जहाज में था। डॉ. अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को वापस मुंबई पहुंच गए।

12. बड़ौदा स्टेट में सैन्य सचिव

इकरारनामे के अनुसार डॉ. अंबेडकर ने बड़ौदा रवाना होने का निश्चय कर लिया, परंतु उनके पास बड़ौदा जाने के लिए पैसे नहीं थे। इन्हीं दिनों में 'मैसर्ज थॉमस

कुक एंड कंपनी' ने डॉक्टर साहब को नष्ट हुए सामान का मुआवजा दिया। उन्हें पुस्तक नष्ट होने का बड़ा दुख था। जो उन्होंने बहुत परिश्रम से न्यूयॉर्क और लंदन में इकट्‌ठी की थी। साथ ही उन्हें पैसे मिलने की प्रसन्नता भी थी कि चलो रेल के किराए के लिए रुपए तो प्राप्त हो गए और वह कुछ राशि अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए दे सकेंगे। डॉ. अंबेडकर सितंबर 1917 में बड़ौदा गए। महाराजा बड़ौदा ने आदेश जारी किया कि रेलवे स्टेशन पर डॉ. अंबेडकर का भव्य स्वागत किया जाए। परंतु एक महार का स्वागत कौन करें? इसलिए उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर कोई नहीं था। यह समाचार कि एक महार बड़ौदा पहुंच रहा है, सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुका था। कोई भी होटल अंबेडकर और उनके बड़े भाई को, जो उनके साथ गया था, स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली।

इकरारनामे के अनुसार डॉ. अंबेडकर को 10 वर्षों के लिए बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। कुछ दिनों भिन्न-भिन्न विभागों में अनुभव दिलाने के बाद महाराजा बड़ौदा डॉ. अंबेडकर को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसलिए उन्हें महाराजा का सैन्य सचिव (Defence Secretary) नियुक्त कर दिया गया, वहां भी छुआछात ने अंबेडकर का पीछा नहीं छोड़ा। अंबेडकर के अधीन कर्मचारियों ने भी उनके साथ मानवता से गिरा हुआ व्यवहार किया। चपरासी उन्हें सरकारी फाइलें और दूसरे कागज पत्र देना पाप समझते थे। वे दूर से ही फाइलें फेंक जाते, जब अंबेडकर कार्यालय से जाने लगते तो चपरासी कालीन तक लपेट लिया करते थे। कार्यालय में उन्हें पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होता था। ऐसा घृणा-पूर्ण, हृदय-विदारक वातावरण को देखकर डॉ. अंबेडकर पुस्तकालय में ही समय व्यतीत करने लगे।

पारसी सराय में डॉ. अंबेडकर पर क्या गुजरी इसका दर्दनाक उल्लेख उन्होंने अपने इन शब्दों में किया है: "महाराजा बड़ौदा द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति से मैं अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गया था। मैं न्यूयॉर्क में 1913 से 1916 तक रहा। 1916 में मैंने 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' में प्रवेश लिया। मुझे पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और भारत लौटना पड़ा। क्योंकि बड़ौदा रियासत ने मुझे पढ़ाई में मदद दी थी इसलिए मुझे रियासत की सेवा में कार्यरत रहना था, किंतु मुझे बड़ौदा रियासत की सेवा छोड़नी पड़ी। बड़ौदा में जो सामाजिक अनुभव मुझे हुआ उसे मैं बताना चाहता हूं।"

"छुआछात के कारण हिंदू होटल मुझे अपने यहां ठहरने नहीं देंगे। इसलिए जानकारी पाने के बाद कि बड़ौदा में पारसी लोगों की एक सराय है, मैंने वहां ठहरना उचित समझा। सराय पहुंचकर जब मैंने चौकीदार को बताया कि मैं हिंदू हूं तो उसने कहा कि सराय में हिंदू नहीं ठहर सकता। मैंने उसे कहा कि यदि मैं पारसी नाम अपना लेता हूं तो मेरी समस्या हल हो जाएगी और उसे कुछ अधिक लाभ भी हो जाएगा। चूंकि कई

दिनों से उसके पास कोई यात्री नहीं आया था। अत: वह मान गया। मैं पारसी नाम से सराय में रहने लगा।"

"पारसी सराय में ठहरे हुए मुझे 11 दिन ही हुए थे। मैं सुबह का नाश्ता कर चुका था और दफ्तर जाने ही वाला था कि सीढ़ियों से कुछ लोगों के ऊपर आने की आहट सुनाई दी। मैंने समझा वे यात्री ठहरने के लिए आए हैं, किंतु क्या देखता हूं कि एक दर्जन हट्टे-कट्टे पारसी लाठियां लिए, मेरी तरफ आए। जल्दी ही मुझे पता चला कि वह यात्री नहीं है। मेरे कमरे के इर्द-गिर्द घेरा डाल उन्होंने प्रश्नों की बौछार कर दी। "तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम अपनाने की हिम्मत कैसे की? दुष्ट कहीं का, तुमने पारसी सराय को अपवित्र कर दिया है।"

मैं मौन खड़ा रहा, मैं क्या उत्तर देता। पारसियों का यह जत्था मुझे मौत के घाट उतार देता किंतु मेरी नरमी और खामोशी ने मेरी हत्या को टाल दिया। उनमें से एक ने पूछा: कब खाली कर रहे हो सराय? वह ऐसा समय था जब मेरा यह ठिकाना, मेरी यह शरण, मुझे अपने जीवन जैसी प्यारी थी। मैंने मौन तोड़ा और उत्तर दिया। मुझे एक सप्ताह और रहने दो, इतने में संबंधित मंत्री मुझे कोठी देने की अर्जी मंजूर कर देंगे, किंतु पारसी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दी कि शाम तक हम तुम्हें इस सराय में देखना नहीं चाहते। तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। मुझे धमकी देकर चले गए। मैं हक्का-बक्का रह गया। मेरा दिल डूबने लगा, मैंने उनको बुरा भला कहा और जोर-जोर से रोने लगा, क्योंकि मुझसे मेरी अनमोल शरण छीनी जा रही थी। मेरा ठिकाना कालकोठरी से बेहतर नहीं था, तो भी मेरे लिए मूल्यवान था। मैंने तय किया कि मित्रों की मदद ली जाए। बड़ौदा रियासत के अछूतों से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी किंतु दूसरे वर्गों में मेरे मित्र थे। एक हिंदू दूसरा भारतीय ईसाई, पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया। वह एक नेक इंसान था और मेरा अच्छा मित्र था। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। उसे मेरी बात सुनकर दुख हुआ। उसने पारसियों को भी बुरा भला कहा, किंतु यह सब महसूस करने के बाद भी वह कहने लगा। "यदि आप मेरे घर में ठहरने के लिए आ जाएंगे तो मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे।" मैंने संकेत समझ लिया और अपने निवेदन पर जोर नहीं डाला। मैं अपने ईसाई मित्र के पास गया। उसने कहा कि उसकी पत्नी अगले दिन आ रही है। वह उससे सलाह करके बता पाएगा। बाद में मुझे पता चला कि उसका उत्तर भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वह पति-पत्नी दोनों ईसाई बनने से पूर्व ब्राह्मण परिवार में से थे। पति तो कुछ उदार विचारों का बन गया था किंतु पत्नी पहले की भांति रूढ़िवादी ही रही और इसलिए वह एक अछूत को अपने घर में कैसे रहने देती?"

शाम चार बजे मैंने अपने ईसाई मित्र का घर छोड़ा। मेरे सामने सवाल था, कहां जाऊं? मेरा कोई मित्र तो था नहीं, सराय भी छोड़नी थी तो फिर जाऊं तो जाऊं कहां? मेरे सामने मुंबई लौटने के सिवाए और कोई चारा नहीं था।

"बड़ौदा से मुंबई के लिए रेलगाड़ी नौ बजे शाम को रवाना होती थी। मुझे पांच घंटे का समय व्यतीत करना था। कहां गुजारूं यह समय? सराय जाऊं अथवा अपने मित्र के यहां जाऊं? सराय जाने का हौसला नहीं था। मैंने शहर की सीमा पर स्थित कामठी-बाग (जिसे अब संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है) में पांच घंटे गुजारने का फैसला किया। वहां बैठे-बैठे कई विचार आए। कभी मैं अपने माता-पिता के बारे में सोचता जैसे प्रायः कठिनाई के समय में संतान सोचा ही करती है। मेरे साथ यह क्या हुआ? इसी सोच में शाम के आठ बज गए। बाग से बाहर निकल कर मैंने तांगा किराए पर लिया और सराय पहुंचा, अपना सामान नीचे लाया, न तो चौकीदार और न मैं ही, कोई शब्द बोल पाए, शायद उसने महसूस किया होगा कि उसी के कारण मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ है। मैंने उसका बिल अदा किया और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ।"

"वर्षों बीत चुके हैं किंतु जब भी पारसी सराय में मेरे साथ हुई घटना याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है, वह पारसी के लिए भी अछूत ही है।"

अपना सामान लेकर अंबेडकर भूखे-प्यासे, थके-मांदे और उदास एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धरती उनका फर्श थी और आकाश उनकी शरण, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, तब उन्होंने यह शपथ ली:

"जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ हूं यदि उसकी गुलामी की बेड़ियां नहीं काट सका तो मैं गोली मार कर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा।"

डॉ. अंबेडकर उन चपरासियों, अधिकारियों, पारसियों और दूसरे लाखों लोगों, जो जहालत, अशिक्षा, रूढ़िवादी एवं अन्य अनेकों कुप्रथाओं से ग्रस्त थे, से कहीं अधिक विद्वान, उच्च नैतिकता, उदारता तथा महानता के स्वामी थे। किंतु फिर भी उनके साथ जाति अभिमानियों ने मानवता से गिरा हुआ व्यवहार किया। यह अपमान व भयानक आघात अंबेडकर जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए असहनीय था। डॉ. अंबेडकर को इस घटना से बहुत अधिक दुख पहुंचा, वह सोचते थे कि आखिर ऐसी मनोवृति किस टकसाल और किस खान में से उत्पन्न होती है।

13. प्रोफेसर अंबेडकर

मुंबई में रहते हुए डॉ. अंबेडकर को समाचार मिला कि मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में एक प्रोफेसर का स्थान रिक्त है। उन्होंने आवेदन किया और नवंबर सन 1918 में कॉलेज ने उन्हें राजनीति अर्थशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। शुरू में तो सिडेनहैम कॉलेज के छात्रों ने अंबेडकर को कोई महत्व नहीं दिया। परंतु धीरे-धीरे वे डॉ. अंबेडकर के गहरे अध्ययन और उनके लेक्चर के प्रभावशाली ढंग के कारण उनकी ओर आकर्षित हो गए। दूसरे कॉलेजों तक के छात्र विशेष अनुमति लेकर उनके लेक्चर सुनने के लिए

आने लगे। डॉ. अंबेडकर का नाम मुंबई के स्कूल और कॉलेजों में प्रसिद्ध हो गया। परंतु इसके बावजूद भी छुआछात की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ गुजराती प्रोफेसरों ने उस घड़े में से अंबेडकर के पानी पीने पर आपत्ति की जिसमें से सभी प्रोफेसर पीया करते थे।

प्रोफेसर की नौकरी डॉ. अंबेडकर के लिए मात्र एक साधन थी, मंजिल नहीं। बार-बार अपमान सहने और ठोकर खाने के बाद डॉ. अंबेडकर बहुत गंभीरता से सोचने लगे कि अंततः इस अपमान का क्या कारण है? वे इस सामाजिक कोढ़ और असमानता के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के साथ तालमेल स्थापित करने में जुट गए। वह लोगों के दिलों में स्वाभिमान की ज्वाला प्रज्वलित करने तथा जो लोग पहले से ही सूझ बूझ वाले एवं साहसी थे, उन्हें और अधिक प्रेरणा देने में लग गए।

14. डॉ. अंबेडकर का मताधिकार पर साउथबॉरो समिति के समक्ष साक्ष्य (Evidence)

1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रकाश में लार्ड साउथबॉरो की अध्यक्षता में मताधिकार पर एक समिति का गठन किया गया जिसे साउथबॉरो फ्रेंचाइजी कमेटी के नाम से जाना जाता है। अछूतों की तरफ से डॉ. अंबेडकर व वी. एन. सिंदे ने अपना पक्ष पहली बार 27 जनवरी 1919 को अछूतों की भयानक स्थिति के बारे में साउथबॉरो समिति के सामने रखा। उन्होंने अछूतों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की मांग की। उन्होंने नामांकन में मनोनीत करने (Nomination) की योजना को खारिज कर दिया और चुनाव का समर्थन किया।

अछूतों के पास कोई संपत्ति या शिक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्हें इसे हासिल करने की अनुमति नहीं थी। मताधिकार को संपत्ति और शिक्षा से जोड़ने से अछूतों के मतदाताओं की संख्या में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर इससे ऊंची जातियों के मतदाताओं की संख्या

में इजाफा होगा। इसलिए डॉ. अंबेडकर ने अछूतों के लिए मताधिकार में शिक्षा और संपत्ति की शर्तों को हटाने के लिए कहा ताकि उनकी संख्या अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बढ़े। वह मानते थे कि ऐसा करने से अछूतों में राजनीतिक चेतना बढ़ेगी। मताधिकार पर साउथबॉरो समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम में पहली बार दलित वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दावों को मान्यता दी। 1919 में डॉ. अंबेडकर के योगदान से दलित वर्गों को पहली बार हिंदुओं से अलग समुदाय के रूप में मान्यता देने की बात हुई।

पिछड़ी जातियों के लिए मताधिकार की मांग के लिए भास्कर राव जाधव ने भी सत्यशोधक समाज की तरफ से 13 जनवरी 1919 को साउथबॉरो समिति के सामने ज्ञापन दिया।

15. मूक-नायक का प्रकाशन

साहूजी महाराज ने आर्थिक सहयोग देकर डॉ. अंबेडकर को एक सामाजिक समाचार पत्र निकालने के लिए कहा। डॉ. अंबेडकर ने जनवरी 1920 को पाक्षिक समाचार पत्र जारी किया। इसका नाम था मूक-नायक अर्थात 'गूंगों का नेता'। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र 'केसरी' ने मूक-नायक जारी होने का विज्ञापन भी प्रकाशित करने से इंकार कर दिया था हालांकि विज्ञापन के रुपए दिए जाने थे।

मूक-नायक की पहली प्रति में अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था पर बहुत सरल परंतु जोरदार दर्द भरा लेख लिखा कि भारत सामाजिक असमानता का गढ़ है। भारतीय हिंदू समाज के बारे में उन्होंने लिखा कि यह एक ऐसा गुंबद है, जो है तो कई मंजिला परंतु उसमें न तो कोई सीढ़ी है, और न ही कोई द्वार, जिस मंजिल पर कोई पैदा हुआ है, उसी में वह मर जाएगा।

मूक-नायक में लिखे एक दूसरे लेख में अंबेडकर ने लिखा कि केवल भारत को स्वतंत्र करवाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसा श्रेष्ठ राष्ट्र बने, जिसमें

शियाजी महाराज गायकवाड़

छत्रपति साहूजी महाराज

(दोनों महाराजाओं ने बाबा साहब को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।)

प्रत्येक को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता प्राप्त हो। प्रत्येक को अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने और उन्नति करने का अवसर दिया जाए। प्रत्येक को विकसित होने की स्वतंत्रता हो और उन्नति करने के लिए सर्व सुलभ अवसर प्राप्त हो।

16. बहिष्कृत हितकारिणी सभा

डॉ. अंबेडकर ने मुख्यत: समाज सुधार का काम आरंभ कर दिया था। उन्होंने 9 मार्च 1924 में दामोदर हॉल मुंबई में एक विशाल सभा का आयोजन किया, ताकि अछूतों की उन्नति के लिए एक केंद्रीय संस्था स्थापित की जा सके। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 20 जुलाई 1924 को "बहिष्कृत हितकारिणी सभा" स्थापित की गई। सभा के प्रबंधन बोर्ड में ज्यादा संख्या दलित वर्ग से संबंधित लोगों की ही थी क्योंकि सभा की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वही लोग दलित वर्गों के दुख दर्द अनुभव कर सकते हैं जो स्वयं इसके शिकार हैं। सभा के मुख्य उद्देश्य ये निश्चित किए गए:

1. दलित वर्गों में शिक्षा प्रसार के लिए हॉस्टल खोलना।
2. उद्योग और कृषि स्कूलों द्वारा दलित वर्ग की आर्थिक दशा उन्नत करना एवं सुधारना।
3. दलित पिछड़े वर्गों में सभ्य-जीवन के प्रसार के लिए पुस्तकालय, सामाजिक केंद्र और अध्ययन केंद्र स्थापित करना।
4. दलित वर्ग की शिकायतें पेश करना।

बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ दलित पिछड़े लोगों में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होने लगी। सभा के पांव जमने लगे 4 जनवरी 1925 को सभा ने अछूत छात्रों के रहने के लिए सोलापुर में एक हॉस्टल खोला। सभा विद्यार्थियों के लिए कपड़ों, पुस्तकों, निवास और भोजन आदि का प्रबंध करने लगी। सोलापुर नगर पालिका ने भी हॉस्टल की देखरेख के लिए चालीस रुपए अनुदान दिया। श्री जीवप्पा सुभाना कांगड़ी नाम के एक अछूत पार्षद हॉस्टल का प्रबंध करते थे।

सभा ने अछूत छात्रों में विद्या और ज्ञान के प्रति स्नेह उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। सभा के आदेश अनुसार छात्रों ने पिछड़े लोगों को जुए, मदिरापान आदि बुराइयों से हटाने के लिए मुंबई में निशुल्क पुस्तकालय और हॉकी क्लब खोले।

17. समता सैनिक दल

बाबा साहब दलित समाज को राजनैतिक व सामाजिक रूप से संगठित करना चाहते थे। उन्होंने सदा से ही जनशक्ति को संगठित करने की ओर पूरा ध्यान दिया और उसके लिए प्रयास तेज कर दिए। उसी प्रयास में डॉ. अंबेडकर ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की स्थापना की जिसके उद्देश्य ये निश्चित किए गए थे:

1. दलित वर्ग के सभी युवाओं में एकता स्थापित कर एक बैनर तले लाना।
2. दलित वर्ग के खासकर युवाओं में सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर उनमें स्वाभिमान, आत्मविश्वास व समाज के प्रति बलिदान की भावना पैदा करना।
3. दलित समाज के समान विचारधारा रखने वाले संगठनों के लक्ष्य, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनका सहयोग करना।

समता सैनिक दल के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहाः दल का मकसद है एक ऐसी शक्ति पैदा करना जिसका नियंत्रण 'शील' द्वारा हो... बाबा साहब ने संत तुकाराम का उल्लेख करते हुए कहा है कि अहिंसा में दो बातें सम्मिलित हैं: (1) प्रेम व कृपालता और (2) सभी दुष्टों का नाश करना, अहिंसा की व्याख्या में दुष्टों के नाश की बात को भुला देने के कारण ही यह बेतुकी व हास्यास्पद हो जाती है ...। "मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं किंतु अहिंसा और दब्बूपन में फर्क करता हूं।"

18. बहिष्कृत भारत

डॉ. अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से एक पाक्षिक मराठी पत्रिका जारी की। उसका नाम था 'बहिष्कृत भारत' अर्थात बहिष्कार किया हुआ भारत। पत्रिका में उन्होंने लिखाः छुआछात एक मानसिक रोग है। छुआछात करना लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक उन्हें यह ना आभास होने लगे कि छुआछात को कायम रखना वैसा ही है, जैसे कि जलते हुए अंगार को जीव्हा पर रखना। बाबा साहब ने कहा कि जाति अभिमानी हिंदू कोरे प्रस्तावों से नहीं समझेंगे बल्कि जब उन्हें यह अनुभव होने लगेगा कि अब अछूतों से दुर्व्यवहार करना खतरे से खाली नहीं, तभी उनके अत्याचारी हाथ थमेंगे। उन्होंने आगे कहा कि छिने हुए अधिकार अत्याचारियों से विनय प्रार्थना करने से नहीं मिला करते बल्कि वे तो कठिन संघर्ष से ही प्राप्त हुआ करते हैं।

19. मुंबई विधानसभा में

बाबा साहब 1927 से 1936 तक बंबई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य रहे। इस दौरान बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। 24 फरवरी 1927 को मुंबई विधान परिषद में अपना पहला भाषण बजट पर दिया। उन्होंने कहा कि मालिया और आयकर लगाते समय सरकार यह भूल जाती है कि आयकर केवल उसी समय देना पड़ता है, जब आय हो। परंतु भूमि का मालिया हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा जागीरदार। फसल हो या ना हो, परंतु बेचारे किसान को तो मालिया देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है।

शिक्षा की मद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी चीज है, जो

प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो, ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके। परिषद में बाबा साहब ने दलित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोलने का सुझाव भी पेश किया।

परिषद को नशाबंदी का सुझाव देते हुए बडे जोरदार ढंग से बताया कि शराबखोरी, (नशा) राष्ट्र को तबाह करने वाला तत्व है। अतः इसे समाप्त करके उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। चाहे नशाबंदी से कितने भी राजस्व की हानि क्यों ना हो। यूनिवर्सिटी सीनेट पर बहस करते हुए बाबा साहब ने मांग की कि सीनेट में पिछड़े व दलित वर्गों के प्रतिनिधि भी लिए जाएं। अछूतों की सरकारी नौकरियों में भर्ती और उन्नति संबंधी प्रश्न उठाते हुए परिषद का ध्यान मुंबई के पुलिस कमिश्नर द्वारा दलितों को पुलिस में भर्ती न करने की ओर दिलाया।

छोटी जोतों की समस्या पर बोलते हुए बाबा साहब ने कृषि में सहकारी प्रणाली को प्रचलित करने की वकालत की। डॉ. अंबेडकर मुंबई विधानसभा की कार्यवाही में गहरी रूचि लेते थे, परंतु जहां तक अछूतों की समस्याओं का संबंध है, वह बहुत पैनी दृष्टि रखते थे। बड़े प्रभावशाली तथा तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे। उनके भाषण और प्रस्ताव विद्वतापूर्ण और निर्णायक हुआ करते थे। हालांकि डॉ. अंबेडकर बंबई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य थे, फिर भी वे ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना करने से नहीं चूकते थे।

मजदूर महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने संबंधी बिल के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मैं चाहता हूं माताओं को प्रसव के समय और उसके पश्चात विश्राम के लिए अवकाश मिलना चाहिए। इसी में राष्ट्रहित है।

उस समय का कानून महारों से सरकारी कामों के लिए बेगार लेने (बिना मजदूरी दिए या नाममात्र की मजदूरी देकर जबरदस्ती काम करवाना) की इजाजत देता था। यदि कोई अछूत महार मौजूद न हो तो, उसके बदले उसके पिता या समान स्तर के किसी सदस्य को बेगार पर ले जाया जाता था। बेगार प्रथा ने महारों का गौरव खत्म कर के रख दिया था। उनका उत्साह, योग्यता और इच्छाएं सब कुछ बेगार ने दबोच रखीं थी। बेगारी रूपी दासता की जंजीरें तोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने विधान परिषद में बिल पेश किया और पास कराया।

20. महाड आंदोलन

1926 में महाड नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें महाड में स्थित चवदार तालाब को अछूतों के लिए भी सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। लेकिन अब भी अछूतों को इस तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। इसलिए बाबा साहब ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और इसके लिए बाबा साहब ने महाड नामक स्थान

पर 19 और 20 मार्च 1927 को एक विशाल कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया। कॉन्फ्रेंस में 15 वर्ष की आयु के युवाओं से लेकर 70 वर्ष तक के वृद्ध शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कई सज्जन तो सैकड़ों मीलों की यात्रा करके पहुंचे। कपड़ों में रोटियां बांधकर और कंधों पर लटकाए हुए भारी संख्या में लोग महाराष्ट्र, गुजरात और देश के दूरवर्ती स्थानों से बहुत श्रद्धा, प्रेम और उत्साह से कॉन्फ्रेंस में पहुंचे।

अध्यक्षीय भाषण देने के लिए जब बाबा साहब डॉ. अंबेडकर खड़े हुए तो पंडाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने प्रेरणा भरे शब्दों में कहा: 'जब तक हम तीन प्रकार के सुधार नहीं कर लेते किसी स्थाई उन्नति की आशा नहीं की जा सकती।

1. हमें अपने विचारों को सुसंस्कृत करना चाहिए, हमारी आवाज में ताकत और हमारी बात में वजन होना चाहिए।
2. हमें आपसी उंच-नीच और छोटे- बड़े का भेदभाव शीघ्र से शीघ्र समाप्त करना चाहिए।
3. हम अपने अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करें और स्वयं को पहचाने।'

उन्होंने आगे कहा कुछ टुकड़ों के लिए अपने आप को दास मत बनाओ। अंत में उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा: 'उन माता-पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा यदि वह अपनी संतान को अपनी से अच्छी स्थिति में देखने की इच्छा नहीं करेंगे।'

दूसरे दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों लोगों का ठाठें मारता हुआ जनसमूह चवदार तालाब की ओर बढ़ चला। जुलूस महाड की गलियों में से निकला। शांत परंतु जोशीला, दासता में जकड़े परंतु सीना ताने चल रहे बहादुरों का एक तूफान तीव्रता से बिना रोक-टोक चवदार तालाब पर जा पहुंचा। सबसे पहले बाबासाहब डॉ. अंबेडकर ने तालाब से पानी पीया। उसके बाद हजारों दूसरे लोगों ने भी पानी पीया। एक विजेता जुलूस, ऐसा जुलूस जिसने शताब्दियों से लगे प्रतिबंध की पुरानी जंजीरों को तोड दिया था, जिसने मानवता का सिर ऊंचा कर दिया था और जो भारत में एक सामाजिक क्रांति का मुखिया था। शांतिमय ढंग से जुलूस फिर कॉन्फ्रेंस के पंडाल में लौट आया।

महाड़ आंदोलन के विषय में बाबा साहब ने कहा: "मैं अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूं कि हम चवदार तालाब में से पानी इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि हम उस पानी के बिना मरे जा रहे हैं बल्कि हम तालाब से पानी इसलिए लेना चाहते हैं ताकि हम अपने मानवीय अधिकार जता सके, ताकि बता सके कि हम भी मानव हैं।"

चवदार तालाब से पानी पीने के कारण सवर्ण लोग गुस्से में थे। परंतु जुलूस पर हमला करने का उनका साहस न हुआ। जुलूस के 2 घंटे बाद किसी ने अफवाह फैला दी कि अछूत वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। यह अफवाह सुनकर

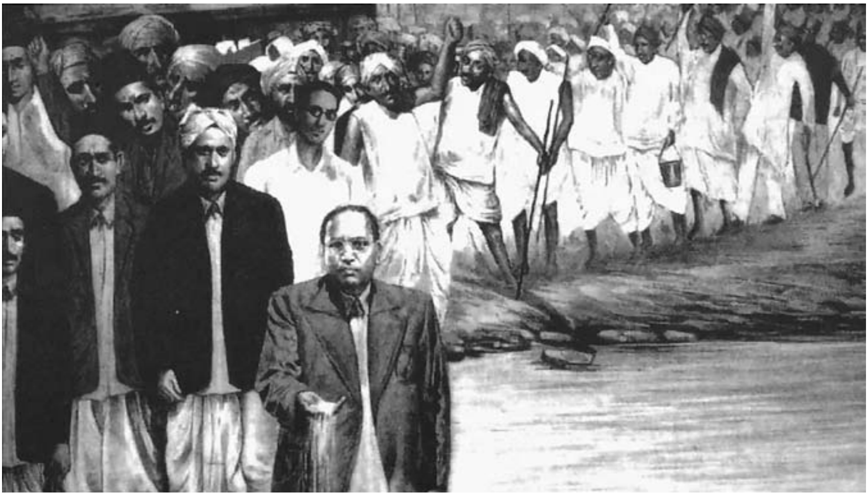

डॉ. अंबेडकर का पानी के लिए संघर्ष (महाड आंदोलन - 20 मार्च 1927)

सभी स्वर्ण हिंदू लाठियां लेकर गलियों के कोने पर आ खड़े हुए। कुछ लोग शस्त्र लेकर कॉन्फ्रेंस के पंडाल में आ धमके। कॉन्फ्रेंस में आए हुए बहुत से लोग वापस जा चुके थे जो शेष थे उनमें से कुछ विश्राम कर रहे थे, कुछ भोजन कर रहे थे। ऐसी अवस्था में सवर्ण लोग उन पर टूट पड़े, खाने-पीने की चीजें मिट्टी में मिला दी और प्रतिनिधियों पर लाठियां बरसानी प्रारंभ कर दी। पुलिस अधिकारी स्वर्ण हिंदुओं पर नियंत्रण करने में विफल रहे। पुलिस ने 9 सवर्ण लोगों को गिरफ्तार किया। केस चला और उनमें से 5 लोगों को मजिस्ट्रेट ने चार-चार मास का करावास का दंड दिया। बाबा साहब ने बाद में कहा कि दंड भी संभव इसलिए हो पाया क्योंकि न्यायाधीश एक गैर स्वर्ण था।

महाड आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ा, जहां लोगों में जागृति उत्पन्न हुई वहां सरकार को भी इस बात का आभास हो गया कि इन लोगों को दबाए रखना न तो संभव है और न हीं सरल। भारत के दलित इतिहास में यह आंदोलन फ्रांसीसी क्रांति से कम नहीं था।

महाड़ सत्याग्रह करने का फिर से ऐलानः

महाड नगरपालिका ने 4 अगस्त, 1927 को 1924 के उस संकल्प को रद्द कर दिया जिसके अंतर्गत उसने दलित वर्गों के लिए चवदार तालाब को खुला घोषित किया था। डॉ. अंबेडकर ने फिर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बंबई में एक सार्वजनिक बैठक बुलाई और एक समिति का गठन किया। समिति ने 25 और 26 दिसम्बर 1927 को महाड में सत्याग्रह करने का फिर से ऐलान कर दिया।

रूढ़िवादी सवर्ण वर्ग के नेताओं ने दलित वर्ग के नेताओं डा. अम्बेडकर और अन्य के विरुद्ध महाड़ के सिविल न्यायालय में 12 दिसम्बर 1927 को अस्थायी निषेधाज्ञा

जारी करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय ने मुकदमे का फैसला होने तक 14 दिसम्बर को दलित प्रतिवादियों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। एक नोटिस भी जारी किया गिया जिसमें डॉ. अंबेडकर और दलित वर्ग के सभी लोगों को अगले आदेशों तक चवदार तालाब पर जाने या उस से पानी लेने से मना कर दिया गया।

डॉ. अंबेडकर को कलेक्टर का एक पत्र मिला जिसमें अछूतों को सत्याग्रह न करने के लिए कहा गया। परन्तु सम्मेलन सत्याग्रह करने के लिए पूरी तरह पक्ष में था। डॉ. अंबेडकर ने कलेक्टर को सूचित किया कि सम्मेलन सत्याग्रह करने के पक्ष में है। यह सुनकर कलेक्टर खुद आये और अन्दोलनकारियों को संबोधित किया। उन्होने कहा कि सरकार आपको तालाब में प्रवेश करने देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसने राय दी कि आप संवैधानिक तथा कानूनी तरीके से लड़ें। अभी अस्थायी निषेधाज्ञा लागू है और आप को सत्याग्रह नही करना चाहिये। इससे आप को हानि होगी। डॉ. अंबेडकर के समझाने से आंदोलनकारियों ने यह संकल्प लिया कि सत्याग्रह को सिविल न्यायालय का निर्णय आने तक स्थगित रखा जायेगा। अंत में यह निर्णय लिया गया कि जुलूस को केवल तालाब के चारों ओर घुमाया जाए। प्रस्ताव के बाद में इकट्ठे हुए 10000 लोगों ने शहर में बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस बाजार से होता हुआ चवदार तालाब तक आया। इस तरह तालाब को चारों ओर से जुलूस ने घेर लिया। कंधो पर लाठी लेकर चलने वाला यह विशाल जुलूस शिवाजी की मावले सेना की याद दिला रहा था। जुलूस इतना लंबा था कि जब एक सिरा तालाब तक घूमकर मंडप तक आया तब दूसरा सिरा भी मंडप के पास ही था। जुलूस पूरा होने पर जब लौटे तो एक बार फिर सभा हुई। इस सम्मेलन को सफल बनाने में जिन लोगो ने मदद की उनका आभार प्रकट किया गया।

महाड़ में सत्याग्रह को रोकने के लिए रूढ़िवादियों ने दलित वर्ग के नेताओं डॉ. अंबेडकर, शिवतारकर और कृष्ण जी. एस .कदम और महाड़ के गन्या मालू चंभार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया और कहा गया कि चवदार तालाब सवर्ण लोगों की निजी संपत्ति है और अछूतों को इस से पानी पीने का कोई अधिकार नहीं है।

दिनांक 23 फरवरी 1928 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान डॉ. अंबेडकर ने अपनी विलक्षण बहस से ना केवल निषेधाज्ञा निरस्त करवाई बल्कि न्यायधीश को इसे सार्वजनिक तालाब घोषित करना पड़ा और सबके प्रयोग के लिए खोल देने का आदेश भी दिया। यह डॉ. अंबेडकर की जीत थी और न्याय की जीत थी।

21. मनुस्मृति दहनः 25 दिसंबर 1927

डॉ. अम्बेडकर को पहले से ही यह संदेह हो गया था कि महाड़ के चवदार तालाब पर लगाई गई अस्थाई निषेधाज्ञा के रहते सत्याग्रह करने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए उन्होनें मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम बना लिया था। महाड के अछूत लोगों के सख्त रवैये के कारण पंडाल के लिए जगह मिल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। परन्तु

मनुस्मृति की दहनभूमि

मनुस्मृति की होली जलाना नितांत साशय था। हमने इसकी होली इसलिए जलाई कि हम इसे उस अन्याय का प्रतीक समझते हैं जिसके नीचे हम सदियों से पिसते आए हैं। - डॉ. बी.आर. अंबेडकर

फत्तेखान नामक मुसलमान ने अपनी जमीन सभा का आयोजन करने के लिए खुशी-खुशी दे दी। पंडाल खड़ा करते समय ही मनुस्मृति जलाने के लिए एक बढ़िया तरीके से सजी वेदी तैयार की गई थी। छह इंच गहरा और लगभग डेढ फीट चौड़ा और लंबा गड्ढ़ा खोद कर उसे चंदन की लकड़ियों से भर दिया गया। चार कोनों में चार फीट लंबाई बाले चार खंबे खड़े किए गए थे। तीन तरफ से पताकाएं लगाई गई थी, जिन पर

मनुस्मृति की दहनभूमि,
अस्पृश्यता नष्ट करो और
पुरोहितवाद को दफना दो

आदि नारे लिखे गए।

25 दिसंबर 1927 को 3 बजे मनुस्मृति के दहन का समय निश्चत किया गया परन्तु कार्यक्रम की शुरूआत लगभग चार बजे हुई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कमेटी

के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर ने अपना भाषण पढ़कर सुनाया उन्होंने अपने भाषण में कहा कि "अछूतों को तालाब का पानी ना पीने देने के पीछे कारण यह है कि धर्म शास्त्रों में जिन जातियों को अस्पृश्य करार दिया है उन जातियों को सवर्ण सदस्य अपने समान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सभा समानता की लड़ाई का बिगुल बजाने के लिए ही बुलाई गई है।

138 साल पहले फ्रांस के राजा लुई सोलहवें ने 24 जनवरी 1789 के दिन एक आदेश पत्र निकाल कर अपने राज्य की प्रजा के प्रतिनिधियों की एक ऐसी ही सभा बुलाई थी। 1789 में हुई क्रांतिकारी फ्रांस राष्ट्रीय सभा ने सामाजिक संगठन के जो सिद्धांत अस्त-व्यस्त थे उन्हें पुनः फ्रांस राष्ट्र के सामने रखा और वही सिद्धांत यूरोप ने भी माने और उसके अनुसार आचरण में लाने का कार्य किया। जिस से पूरे यूरोप में बहुत बड़ा बदलाव आया।

हिंदू समाज और फ्रैंच समाज इन दोनों समाजों में सामाजिक व्यवस्था एक सी ही थी। वर्ण व्यवस्था के कारण दो वर्गों के बीच पैदा होने वाली भिन्नता के कारण ही इन दो समाजों में समानता नहीं थी।

ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आज यहां हो रही इस सभा में और 5 मई 1789 को फ्रांस के वर्साय में हुई फ्रांसीसी लोगों की क्रांतिकारी राष्ट्रीय सभा में बहुत अधिक समानता है। फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा ने फ्रांसीसी राष्ट्र के संवर्धन के हित के लिए मार्गदर्शन तैयार किया तथा जिस मार्ग को सभी विकसित राष्ट्रों ने मान्यता दी। वही मार्ग हिन्दू समाज के संवर्धन के लिए इस सभा को अपनाना चाहिए तथा बेटी बंदी से लेकर मिलने जुलने पर लगी पाबंदी तक के वर्णाश्रम धर्म के चौखटे की कील उखाड़कर हिंदू समाज के वर्णों को एक बनाना चाहिए। उसके बगैर अस्पृश्यता नष्ट नहीं होगी और ना ही समानता स्थापित होगी।

अस्पृश्यता सीधी-सादी बात नहीं है, यह हमारी दरिद्रता और हीनता की जननी है, उसी के कारण आज हमारा ऐसा बुरा हाल हुआ है, इस हीन स्थिति से अगर हमें उबरना है तो हमें इस कार्य को अपने हाथ में लेना ही होगा, उसके अलावा हमारे सामने कोई और चारा ही नहीं है। अस्पृश्यता निवारण का मार्ग हिंदू समाज को सुदृढ़ करने वाले मार्ग से भिन्न नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि हमारा कार्य जितना स्वहित का है, उतना ही राष्ट्रहित का भी है, इसमें कोई शक नहीं।"

डॉ. अंबेडकर के भाषण के बाद सभा में चार प्रस्ताव पास किए। दूसरा प्रस्ताव मनुस्मृति को जलाने के विषय में था जिसको श्री गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में कहा गया कि शूद्र जातियों को अवमानना करने वाली, उनके विकास को रोकने वाली, उनके आत्मबल को नष्ट कर उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी कायम करने वाली बातों को नुकसानदेह जानकर उन छल कपट भरे हथकंडों को,

जो कि मनुस्मृति में दिए गए हैं, समाज के विभाजन को भी ध्यान में रखते हुए तथा जिसमें केवल हिंदू मात्र के जन्मसिद्ध हकों की घोषणा है, इस पत्र में सम्मिलित किए गए तत्वों के साथ तुलना करते हुए यह धर्मग्रंथ इस पवित्र नामकरण के लिए अयोग्य है, इस राय को व्यक्त करते हुए कि लोगों के बीच फूट डालने वाले और इंसानियत का कत्ल करने वाले धर्म ग्रंथ का यह सभा दहन विधि कर रही है।

इस प्रकार 25 दिसंबर 1927 की रात को 9:00 बजे बापू साहब सहस्त्रबुद्धे तथा अन्य पांच-छह अछूत साधुओं के हाथो मंत्रों के साथ मनुस्मृति की किताब को रख कर जलाया गया।

22. कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन

2 मार्च 1930 को डॉ. अंबेडकर ने नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया। आगे चलकर डॉ. अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा था कि: "वे मंदिर प्रवेश का आंदोलन इसलिए नहीं चला रहे कि मंदिरों में से उनको कोई आध्यात्मिक शांति या शक्ति प्राप्त होती है। अपितु वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वे अपने मानवीय अधिकार प्रकट कर सके, जता सकें।"

मोर्चा एक मास तक चालू रहा अंततः 9 मार्च 1930 का दिन आ पहुंचा। उस दिन मूर्ति की रथ यात्रा निकलनी थी। स्वर्ण हिंदू और अछूतों में समझौता यह हुआ कि दोनों ओर के व्यक्ति रथ खींचेंगे। अंबेडकर भी कुछ चुने हुए साथियों सहित गेट के निकट खड़े थे। परंतु स्वर्ण हिंदुओं ने वचन भंग कर दिया। सोचे समझे षड्यंत्र अनुसार अभी रथ बाहर निकला ही था कि हिंदू रथ को एक संकरी गली की ओर से ले भागे। गली पर पुलिस का पहरा था। भंडारी जाति के एक नौजवान जिसका नाम कद्रेकर था, ने वीरता का प्रमाण देते हुए पुलिस का घेरा तोड़कर रथ को जा पकड़ा। बस फिर क्या था स्वर्ण गिद्धों की भांति अछूतों के ऊपर टूट पड़े। ईटों, पत्थरों की वर्षा होने लगी कद्रेकर गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ साथी डॉ अंबेडकर की छतरी से रक्षा कर रहे थे। ईटों से छतरी फट गई। अंबेडकर से कहा गया कि वह सुरक्षित स्थान पर चले जाए परंतु उन्होंने उत्तर दिया: "मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, मैदान में से भागकर नहीं जा सकता"। अंबेडकर डटे रहे। वह घायल भी हो गए। अंत तक अछूत इतने दृढ़ थे कि उन्होंने सवर्ण नेताओं की एक न सुनी, परिणाम स्वरुप नासिक का कालाराम मंदिर पूरा एक वर्ष तक बंद रहा और मोर्चा अक्टूबर 1930 तक चालू रहा।

यह सत्याग्रह आंदोलन पूरे छह वर्ष चला और 1935 में नासिक जिले के येवला शहर में हुए एक सम्मेलन में इसे बंद करने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में अछूतों को सामान सामाजिक अधिकार देने से इनकार करते हुए हिंदुओं द्वारा अपनाए गए हटी रवैये को देखते हुए अछूतों ने हिंदू समुदाय से बाहर चले जाने का संकल्प लिया।

23. साइमन कमीशन

भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों के बाद एक शाही आयोग का गठन किया जाएगा जो इस अधिनियम की कार्यविधि, संशोधन की जांच करेगा। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। जिसमें सभी 7 सदस्य ब्रिटिश नागरिक थे। 3 जनवरी 1927 को साइमन कमिशन भारत आया लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया।

दूसरी तरफ बाबा साहब जानते थे कि साइमन कमीशन अल्पसंख्यक समुदाय के मामलों पर निर्णय लेने के लिए आया है। दलित वर्ग के अल्पसंख्यक होने का मामला बाबा साहब ने पहली बार साउथबॉरो कमेटी के सामने उनको मताधिकार देने के संबंध में उठाया था कि भारतीय दलित समाज हिंदू समाज से बिल्कुल भिन्न है।

अब बाबा साहब के पास यह दूसरा मौका था कि दलित वर्गों के अधिकार देने के मामले को साइमन कमीशन के सामने उठाया जाए। इसलिए बाबा साहब और रायबहादुर राजा ने अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होने के नाते साइमन कमीशन का स्वागत किया और सहयोग दिया।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने 19 मई 1928 को साइमन कमीशन के सामने दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए एक ज्ञापन पेश किया जिसमें कहा गया कि दलितों को अल्पसंख्यक माना जाए और उनको मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और शिक्षा प्राप्ति आदि के अधिकारों की गारंटी दी जाए।

3 अक्टूबर 1928 को बाबा साहब को साइमन कमीशन ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया। बाबा साहब ने वयस्क मताधिकार देने, मताधिकार को शिक्षा और

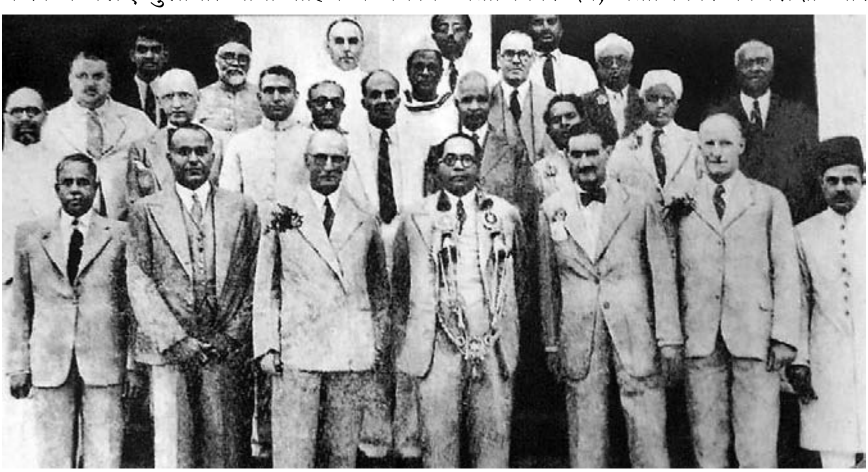

अछूतों के मुद्दों को साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत करते डॉ. अंबेडकर

संपत्ति से अलग करने, पृथक चुनाव क्षेत्र बनाने, आरक्षित सीट निश्चित करने और अछूतों को अलग समुदाय माना जाए, जैसे विचार सामने रखे। लेकिन साइमन कमीशन ने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। और केवल दलितों को मनोनीत प्रतिनिधित्व का ही अधिकार दिया।

24. पहली गोलमेज कांफ्रेंस

जब कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करने के लिए लंदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया। जिसे गोलमेज कांफ्रेंस के नाम से जाना जाता है। लंदन में तीन गोलमेज कांफ्रेंस हुईं और बाबा साहब ने तीनों में भाग लिया।

प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस में डॉ. अंबेडकर 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय हिन्द नामक समुद्री जहाज द्वारा मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुए। कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं ने कांफ्रेंस में शामिल होने वाले नेताओं के विरुद्ध घृणा की ज्वाला भड़का दी। डॉ. अंबेडकर के पीछे तो वे हाथ धोकर पड़े हुए थे। वे कौन से अपशब्द है जो उस समय कांग्रेसियों ने बाबा साहब को नहीं कहे। इंग्लैंड पहुंचते ही बाबा साहब ब्रिटिश नेताओं से मिलने-जुलने में जुट गए। वहां का वातावरण उन्हें कुछ अनुकूल लगा।

लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस आरंभ हुई। पहली गोलमेज सम्मेलन में 20 नवंबर 1930 को जो भाषण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दिया वह ऐतिहासिक था, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था, ब्रितानिया सरकार के लिए एक ललकार, एक चुनौती था और दलित वर्गों के दुखों की दर्द भरी कहानी का रोंगटे खड़े करने वाला वृतांत था। अतः उस भाषण के कुछ अंश यहां दिए जा रहे हैं। बाबा साहब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा:

"मैं इस सभा में उन दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो ब्रिटिश भारत की 430 लाख अथवा 1/5 जनसंख्या का पक्ष है। जो इतना बड़ा वर्ग है जिसकी जनसंख्या इंग्लैंड अथवा फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है, जो अस्पृश्यता के अभिशाप का शिकार है। उससे भी खराब बात यह है कि अस्पृश्यता के कारण उन पर लादी गई गुलामी से न केवल सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है, बल्कि उन्हें समान अवसरों और मानवीय जीवन के लिए आवश्यक नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है।"

"अंग्रेजी शासन से पहले की अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि आगे बढ़ने की बजाय हम वही कि वही खड़े हैं। अंग्रेजी शासन से पहले भी अस्पृश्यता के अभिशाप के कारण हम घृणास्पद जीवन

व्यतीत कर रहे थे। क्या अंग्रेजी शासन ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है? अंग्रेजी शासन से पहले मंदिर में हमारा प्रवेश वर्जित था। क्या अब हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हमें पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती थी। क्या अब हम पुलिस में जा सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या सरकार ने हमारे लिए रास्ते खोले हैं? नहीं।"

"हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुख दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता और जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आती हम भी उसे दूर नहीं कर सकते। जब तक अंग्रेजी सरकार बनी रहेगी तब तक इस राजनीतिक सत्ता का अंश मात्र भी हमें मिलने वाला नहीं। स्वराज्य के अंतर्गत ही हमें राजनीतिक सत्ता में साझेदारी का कोई अवसर मिल सकता है। राजनीतिक सत्ता के बिना हमारे लोगों का उद्धार संभव नहीं है।"

"हर बार दलितों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। राजनीतिक सत्ता में उनके दावे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं और अब हम इसे और अधिक सहन नहीं करेंगे। सामान्य राजनीतिक समझौते के साथ ही हमारी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और उसे भावी शासकों की सहानुभूति और सदभावना की बालू पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"

"मुझे भय है और मैं पूरी तरह से महसूस कर रहा हूं कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी संविधान सफल नहीं होगा, जो अधिकांश जनता को मान्य न हो। वे दिन चले गए जब आप जैसा भी निर्णय लेते थे भारत मान लेता था।अब वह समय कभी वापस नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप का संविधान मान्य हो तो आप उसे जनता की सहमति के आधार पर बनाएं।"

जिस निर्भयता से डॉ. अंबेडकर गरजे, जिस विद्वतापूर्ण ढंग से उन्होंने सरकार की आलोचना की, और दर्द भरी आवाज के साथ भारत के करोड़ों गरीबों और दलितों की दुर्दशा का वर्णन किया, इससे कॉन्फ्रेंस पर अमिट प्रभाव पड़ा। उनके भाषण का ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों पर भी डॉ. अंबेडकर के भाषणों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी समाचार पत्र और राजनीतिज्ञों ने दलित वर्गों और डॉ. अंबेडकर की ओर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया। "दी इंडियन डेली मेल" ने तो यहां तक प्रशंसा की कि पूरी कॉन्फ्रेंस में डॉ. अंबेडकर का भाषण सर्वोत्तम भाषण था।

डॉ. अंबेडकर ने लंदन में रहते हुए कठिन परिश्रम किया। वह प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से मिले। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे और संपादकों को पत्र लिखें। प्रेस वक्तव्य में उन्होंने दलित वर्गों की दुर्दशा को दर्द भरे शब्दों में व्यक्त किया। लंदन में सभाएं करके उन्होंने अंग्रेजों को दलितों की दशा से अवगत कराया। अंबेडकर ने व्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों से अपील की कि वे दलित वर्गों की दयनीय दशा की ओर ध्यान दें।

पहली गोलमेज कांफ्रेंस क दौरान डॉ. अंबेडकर 1930-1932

बाबा साहब के इस श्रृंखलाबद्ध प्रचार का यह परिणाम निकला कि सारी दुनिया को ज्ञात हो गया कि भारत में दलितों की दशा अमेरिका के काले लोगों से भी बुरी है। डॉ. अंबेडकर 27 फरवरी 1931 को मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने पर समता सैनिक दल ने उनका भव्य स्वागत किया।

25. दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस

दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस 7 सितंबर 1931 को शुरू हुई। सम्मेलन में जाने से पहले बाबा साहब ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा: '125 सदस्यों की गोलमेज कांफ्रेंस में हम दलित वर्गों के केवल दो प्रतिनिधि हैं। परंतु इस बात का विश्वास रखो कि हम अपने अधिकारों के लिए आकाश-पाताल एक कर देंगे... हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अतएव अपना संघर्ष जारी रखो और अपनी शक्तियों को संगठित करो। संघर्ष से हमें शक्ति और मान प्राप्त होगा।'

दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मिस्टर एम.के. गांधी भी शामिल हुए। यहां पर उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया और उनको दलितों का प्रतिनिधि ना होने की बात कही। गांधी ने स्वयं को दलितों का सच्चा प्रतिनिधि और हितैषी सिद्ध करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने घोषणा की कि 'मैं हिंदू, मुस्लिम और सिखों के अतिरिक्त किसी अन्य (दलितों) को विशेष अधिकार देने का कड़ा विरोध करूंगा।'

कांफ्रेंस में गांधी की भूमिका पर बाबा साहब ने कहा: 'संसार के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि दलितों की गुलामी की जंजीर टूटने का विरोध गांधी जी की ओर से किया गया।' बाबा साहब ने बताया कि किस प्रकार से वह चार-पांच बार

लंदन में दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस क दौरान डॉ. अंबेडकर 1930–1932

लंदन में गांधी से मिले और किस प्रकार गांधी गुप्त रूप से कुरान लेकर आगाखान के पास गए ताकि वे दलितों की मांगों का विरोध करें।

दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस एक दिसंबर को बिना कोई निर्णय लिए समाप्त हो गई। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर जब भारत पहुंचे तो 114 संस्थाओं ने संयुक्त रूप से उनका भव्य स्वागत किया और गांधी जी जब मुंबई पहुंचे तो दलितों ने काले झंडों के साथ उनका स्वागत किया।

26. कम्युनल अवार्ड, पृथक–चुनाव (Separate Electorate) प्रणाली

ब्रिटिश सरकार ने 17 अगस्त 1932 को पूर्व में हुए गोलमेज सम्मेलनों के परिणामस्वरूप कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। इस निर्णय के अनुसार दलित वर्गों को भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों की भांति अपने मतों के द्वारा अपने वर्ग में से ही प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। यानी उम्मीदवार भी दलित वर्ग का और मतदाता भी केवल दलित ही। इस प्रणाली को Separate Electorate यानी पृथक–चुनाव प्रणाली भी कहा जाता है।

इस कम्युनल अवार्ड से अछूतों को ये मुख्य लाभ थे:

1. अछूतों को एक अलग समुदाय माना गया।
2. अछूतों के लिए सीटों कि संख्या निश्चित की गई जो कि अछूतों के मतों द्वारा अछूत व्यक्तियों में से ही निर्वाचित की जानी थी।
3. दोहरी वोट का अधिकार, पहली वोट दलित निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग के लिए, और दूसरी वोट सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग के लिए।

4. दलितों को पहली बार नागरिक अधिकार (Civil Right) समाज के अन्य वर्गों के समान प्राप्त हुए।

भारत के इतिहास में दलितों को पहली बार पृथक-चुनाव प्रणाली द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ जो बाबा साहब द्वारा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों के किए गए संघर्ष का फल था। इस प्रकार दलित पहली बार राजनीतिक मानचित्र पर दिखाई पड़े जबकि इससे पूर्व उनका कोई नामोनिशान नहीं था। इसका लाभ दलितों के लिए यह था कि दलितों के अपने नुमाइंदे अपनी सीटों के द्वारा चुने जाने थे जो उनके लिए काम करते और उनके प्रति जवाबदेह होते।

कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधीजी ने पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया। परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा सकता है तो उन्होंने यरवदा जेल पूना में ही मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी।

इस पर बाबा साहब ने कहा कि यदि गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए मरण व्रत रखते तो वे उचित होता। परंतु यह दुखदायक आश्चर्य है कि गांधी ने अकेले दलितों को ही अपने विरोध के लिए चुना है।

27. पूना पैक्ट

20 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड जिसमें दलितों को दोहरी वोट का अधिकार प्राप्त हुआ था जिसमें एक वोट से उन्हें अपना (SC) प्रतिनिधि चुनने का अधिकार और दूसरी वोट से सामान्य उम्मीदवार चुनने का अधिकार मिला था। इसके विरोध में गांधी जी ने मरण व्रत रख लिया। अगले ही दिन यह समाचार फैल गया कि गांधी का स्वास्थ्य खराब हो गया है और उनका शरीर समाप्त होता जा रहा है। गांधी के पुत्र देवदास गांधी डॉ. अंबेडकर के पास आए और आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के प्राण बचाने की भीख मांगने लगे। दूसरी ओर डॉ. अंबेडकर को धमकियां दी जाने लगी। वातावरण कितना कटु और घुटन पूर्ण था और बाबा साहब के जीवन को कितना खतरा था, इसका अनुमान उस समय के हिंदू नेताओं के बयानों और हिंदू समाचार पत्रों के लेखों से लगाया जा सकता है।

बाबा साहब ने कहा गांधी के प्राण बचाने के लिए वे दलितों के हितों की बलि नहीं दे सकते। मैं किसी भी सुझाव पर विचार करने को तैयार हूं लेकिन मैं दलित वर्गों के अधिकारों पर कुठाराघात करने की अनुमति नहीं दूंगा। गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है और ना ही कांग्रेस कोई सदा रहने वाली है। भारत में ऐसे अनेकों महात्मा आए और अनेकों चले गए परंतु दलित, दलित ही रहे।

सवर्ण हिंदू दो-रंगी चाल चल रहे थे। उन्होंने एक ओर डॉ. अंबेडकर के विरुद्ध धमकियों का दौर आरंभ किया हुआ था और दूसरी ओर वे नाममात्र हिंदू मंदिर, प्याऊ,

पाठशाला दलितों के लिए खोले जाने की धड़ाधड़ घोषणा करके ब्रिटिश सरकार पर यह प्रभाव डाल रहे थे कि हिंदुओं ने दलितों के प्रति अपना व्यवहार बदल लिया है। इस समय कुछ स्थानों पर सहभोजों के आडंबर रचे गए। श्राद्ध में दलितों को शामिल किया गया, हिंदू कन्याओं ने दलित नव युवकों को तिलक लगाए, ब्राह्मणों ने उन्हें यज्ञोपवीत धारण करवाए, हवन कुंडों पर दलितों को बैठाया गया। निष्कर्ष यह है कि वह कौन सा पापड़ था जो हिंदुओं ने अंग्रेज और दलितों पर प्रभाव डालने के लिए ना बेला हो।

ऐसे माहौल में यरवदा जेल पूना में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में एक तरफ गांधी व सरोजनी नायडू के साथ तथा अन्य हिंदू नेता पंडित मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रू, घनश्याम दास बिडला, सी. राजगोपालाचारी, डॉ राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवासन, एम.सी. राजा, देवदास गांधी, विश्वास, स. बालू, राजभोज, गवई, ठक्कर बाप्पा, सोलंकी सी. वी. मेहता, बखले और कामत बैठे थे। दूसरी तरफ बाबा साहब के नेतृत्व में दलित वर्गों के नेतागण बैठे थे। कई घंटों की बातचीत और खींचातानी के बाद हिंदू नेताओं, विशेष रूप से गांधी की ओर से बाबा साहब को यह कहने के बाद कि हिंदू धर्म को स्वयं को सुधारने का अंतिम अवसर दिया जाए। मजबूरी में बाबा साहब को हस्ताक्षर करने पड़े। सवर्ण हिंदुओं की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 की शाम पांच बजे किए गए, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इससे नुकसान यह हुआ कि पृथक चुनाव प्रणाली (Separate Electorate) को यानी दोहरे वोट के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।

पूना पैक्ट के मुख्य बिंदुः

1. दलित समाज के लिए प्रदान की गई पृथक चुनाव प्रणाली (Separate Electorate) को समाप्त कर दिया गया और संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया गया।
2. केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 78 से बढ़ाकर 151 कर दी गई।
3. शिक्षा में अछूतों की शिक्षा के लिए अलग से अनुदान की व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
4. सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
5. आगे चलकर पूना पैक्ट का बुरा प्रभाव यह हुआ कि दलितों के वास्तविक प्रतिनिधि चुने जाने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो गई, जो दलितों की समस्याओं पर विचार केंद्रित कर उनका समाधान खोज सकते थे और भविष्य में उनकी प्रगति का मील का पत्थर साबित हो सकते थे।

28. भारत सरकार अधिनियम 1935 में डॉ. अंबेडकर का योगदान

भारत सरकार अधिनियम 1935 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र 1933 तथा ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था।

डॉ. अंबेडकर भारतीय संविधानिक सुधार पर संयुक्त भारतीय चयन समिति के 27 प्रतिनिधियों में से एक थे। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों को परामर्श करने के लिए गठित किया था। संयुक्त समिति की ओर से डॉ. अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार और भारत की विभिन्न महान हस्तीयों और विभिन्न संगठनों के साक्ष्यों का परीक्षण किया।

भारत सरकार अधिनियम 1935 में पूना पैक्ट को शामिल किया गया। जिसमें पहली बार दलित वर्गों को मतदान का अधिकार और चुनाव में चुने जाने का अधिकार मिला था। उनके लिए सीट आरक्षित की गई जिन्हें सामान्य मतदान से भरा जाना था। दलित वर्गों के लिए कानूनी रूप से शिक्षा संस्थानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं खोली गई। यह सब बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के कारण हुआ। जिन्होंने साउथबॉरो समिति, साइमन कमीशन, तीनो गोलमेज सम्मेलनों और संयुक्त चयन समिति में दलित वर्गों के मुद्दों को उठाया था।

29. माता रमाबाई का निधन

बाबा साहब का परिवारिक जीवन लगातार दुख पूर्ण होता जा रहा था। उनकी पत्नी रमाबाई प्राय: बीमार रहती थी। वह उन्हें वायु परिवर्तन के लिए धारवाड भी ले गए परंतु कोई सुधार नहीं हुआ। उनके तीन पुत्र और एक पुत्री पहले ही मर चुके थे। 27 मई 1935 को उन पर दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। उस दिन निर्दयी मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। रमाबाई ने घोर निर्धनता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहब का साहस बढ़ाया। बाबा साहब का अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था। उन्हें विश्व विख्यात महापुरुष बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था।

30. पुस्तक प्रेमी डॉ. अंबेडकर

बाबा साहब को पुस्तकें खरीदने, पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। बाबा साहब अपनी पुस्तकों, जिनके कई-कई संस्करण छपे और उनसे प्राप्त रॉयल्टी के पैसों को वे और अधिक पुस्तकें खरीदने पर खर्च कर देते थे। एक बार तो बाबा साहब ने श्री डी.ए. तेलंग का पूरा का पूरा पुस्तकालय खरीद लिया।

बाबा साहब ने जब दादर मुंबई में अपना मकान बनाया। उन्होंने मकान का नाम प्राचीन बौद्ध शहर के नाम पर 'राजगृह' रखा। उसमें उन्होंने एक पुस्तकालय बनाया। बाबा

साहब पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने निजी घर में पुस्तकालय बनवाया जिसमें साठ हजार पुस्तकें थी। यह पुस्तकालय एशिया के निजी पुस्तकालयों में सबसे अधिक विशाल और समृद्ध था।

31. हिंदू धर्म के त्याग की घोषणा

13 अक्टूबर 1935 को येवला कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने घोषणा कर दी कि "मैं हिंदू पैदा अवश्य हुआ हूं परंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।" हिंदू धर्म का विश्लेषण करते हुए बाबा साहब ने कहा:

"हिंदू धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म नहीं है बल्कि यह तो उन पर दासता के कारण लादा और थोपा गया था। हमारे पूर्वजों के पास इस दासता के विरुद्ध लड़ने के साधन नहीं थे। इसलिए वे विद्रोह न कर सके और हिंदू धर्म में ही रहने को विवश हो गए।"

दलितों की समस्या एक प्रकार का वर्ग युद्ध है। यह हिंदू और दलितों के बीच वर्ग संघर्ष है। यह कोई, किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार या अन्याय का मामला नहीं, बल्कि यह तो एक वर्ग का दूसरे वर्ग के विरुद्ध संघर्ष है। जैसे ही दलित समानता का दावा करना आरंभ करते हैं और उन्नति के समान साधनों का प्रयोग करने लग जाते हैं, उसी समय यह वर्ग- संघर्ष आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म त्यागने से इस वर्ग संघर्ष के समाप्त होने की भी संभावना है। मैं (डॉ. अंबेडकर) धर्म परिवर्तन की ओर पहले कदम के तौर पर दलितों से यह अनुरोध करता हूं कि:

1. वे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा छोड़ दें।
2. वे हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दें।
3. वे हिंदू धर्म स्थानों पर जाना छोड़ दें।

येवला कांफ्रेंस ने सारे देश में तहलका मचा दिया। धर्म परिवर्तन की घोषणा को गांधी ने 'दुर्भाग्य' कहा और अछूत उद्धार के नाम पर फंड एकत्र करना आरंभ कर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा 'दलित हिंदू धर्म ना त्यागें हम उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाएंगे'

घोषणा के बाद सिख, मुस्लिम और ईसाई नेताओं में डॉ. अंबेडकर को अपने धर्म में सम्मिलित करने की होड़ लग गई।

32. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना

गोलमेज कांफ्रेंस से दलितों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने के बाद बाबा साहब को एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हुई। जिसके परिणाम स्वरूप बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था **इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP)** जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूर वर्ग के अधिकारों की मांग को उठाना था।

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) ने प्रथम बार बॉम्बे विधानसभा का चुनाव लड़ा जो कि 17 फरवरी 1937 को हुए। बॉम्बे विधानसभा में 176 सीटों में से 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। बाबा साहब ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) को 15 में से 13 आरक्षित सीटें तथा 2 जनरल सीटें प्राप्त हुई।

33. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन

'ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' का गठन 7 सितंबर 1942 को किया गया था। इसका संविधान भी उसी दिन प्रकाशित कर दिया गया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य दलित समाज के अधिकारों के मुद्दों को उठाना था। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान सभा का आम चुनाव भी दिसंबर 1945 से फरवरी 1946 के बीच होना था। जिसमें सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। मुस्लिमों व सिखों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए गए थे। यह चुनाव इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि क्षेत्रीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था और इस संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण करना था। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने सामान्य चुनाव लड़ा परंतु रिजर्व सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। फेडरेशन की तरफ से बाबा साहब ने मुंबई की उत्तरी केंद्रीय संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को हराने का पूरा प्रयास किया ताकि अंबेडकर यह चुनाव जीत न सके और चुनाव जीतकर केंद्रीय विधानसभा के सदस्य न बन जाए और संविधान सभा में न पहुंच जाए। CPI (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) के उम्मीदवार एस. ए. डांगे ने डॉ. अंबेडकर के विरुद्ध भयंकर अभियान चलाया और दलितों को कम्युनिस्टों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। डॉ. अंबेडकर चुनाव जीत न सके वह कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सादोबा काजोलकर जो कभी बाबा साहब के सहायक हुआ करते थे, से चुनाव हार गए। अधिकतर आरक्षित सीटें कांग्रेस पार्टी द्वारा मनोनीत किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की पकड़ में आ गई। इसका प्रभाव ऐसा गया कि अनुसूचित जाति वर्ग कांग्रेस के साथ है। वास्तव में यह परिणाम पूना पैक्ट के पृथक चुनाव क्षेत्र के स्थान पर अपनाए गए संयुक्त चुनाव क्षेत्र के चयन का परिणाम था। जिसमें संयुक्त चुनाव प्रणाली के कारण अनुसूचित जाति के वास्तविक हितेषी प्रतिनिधियों का चुनाव संभव नहीं हुआ। दलित समुदाय के लिए यह हार समुदाय की असामयिक मृत्यु के समान थी जो कि पूना पेक्ट का परिणाम थी।

34. क्रिप्स मिशन के समक्ष दलितों का पक्ष

9 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफॉर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को भारत भेजने का फैसला किया जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है।

क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 को डॉ. अंबेडकर और श्री एम. सी. राजा के साथ साक्षात्कार किया। डॉ. अंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त किए और अनुरोध किया कि ब्रिटिश सरकार को दलित वर्गों पर एक ऐसा संविधान नहीं थोपना चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्र व स्वैच्छिक सहमति नहीं दी है और जिसमें वह सभी प्रावधान शामिल नहीं हैं जो उनके हितों के लिए आवश्यक हैं।

डॉ. अंबेडकर सर जॉन क्रिप्स के सुझावों से बहुत निराश थे। क्योंकि इस प्रस्ताव में दलित वर्गों के बारे में कुछ चर्चा नहीं थी। संविधान सभा की स्थापना दलित वर्गों के साथ एक विश्वासघात से कम नहीं थी। और डॉ. अंबेडकर ने क्रिप्स के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया क्योंकि:

1. संविधान सभा में दलित वर्गों का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि इन प्रस्तावों द्वारा कोई कोटा तय नहीं किया गया था।
2. संविधान सभा में सभी निर्णयों के लिए सर्व सम्मत होना आवश्यक नहीं था बहुमत किसी भी विषय को तय करने के लिए पर्याप्त है, स्पष्ट है कि इस व्यवस्था के तहत संविधान सभा में दलित वर्गों की आवाज नहीं सुनी जा सकती।
3. अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान प्रणाली जिसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाना है, इसके परिणाम स्वरूप स्वर्ण हिंदुओं को संविधान सभा में दलित वर्गों के प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार प्राप्त है दलित वर्गों के ऐसे प्रतिनिधि स्वर्ण हिंदुओं की कठपुतली होंगे।
4. संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से भरी जाएगी। जो संविधान में दलित वर्गों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक अलग राजनीतिक मान्यता देने का पूरी तरह से विरोध करते हैं, ऐसा होने पर संविधान सभा बहुमत दल का कार्य वर्तमान संविधान में दलित वर्गों को पहले से दिए गए राजनीतिक सुरक्षा उपायों को मिटा देना होगा।
5. संधि के प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया है कि सुरक्षा का उपाय क्या है? ब्रिटिश सरकार संविधान के तहत दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय करेगी? अतः बाबा साहब ने इसे नामंजूर कर दिया।

35. वायसराय की कार्यकारिणी काउंसिल में लेबर मेंबर

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद 1 जुलाई 1942 को गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को नियुक्त कर दिया।

अपनी विद्वता और योग्यता के बल पर बाबा साहब 1 जुलाई 1942 से

10 सितंबर 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी काउंसिल के लेबर मेंबर रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए वह देश के विकास में मील के पत्थर सिद्ध हुए जैसे:

1. बांधो के योजनाकार: डॉ. अंबेडकर ने देखा कि देश में एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ अकाल पढ़ते रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने पानी के सही इस्तेमाल की योजना बनाई और फिर उन्होंने बहुप्रयोजनी (Multi Purpose) बांधों की योजना बनाई। उनके प्रयत्नों से दामोदर घाटी बांध, महानदी बांध, सोन घाटी बांध, हीराकुंड बांध आदि आठ बांधों का निर्माण कार्य हुआ।
2. ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन करके सभी रजिस्टर्ड यूनियन को मान्यता देना अनिवार्य ठहराया। यानी यह बिल मालिकों द्वारा ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए बाध्य करता है।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बाबा साहब ने असेंबली में पेश किया और पास करवाया।
4. मजदूरों के लिए अनिवार्य बीमा योजना की शुरुआत की।
5. मजदूरों के लिए चिकित्सा (मेडिकल) सुविधा प्रदान करवाई।
6. स्त्रियों को वेतन के साथ अर्थात वेतन काटे बिना प्रसूति छुट्टियों की सुविधा दिलवाई।
7. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट (Workmen Compensation Act) यानी काम करते हुए मजदूर को चोट लगने, अंग कटने या मृत्यु होने पर उचित मुआवजा देने का कानून भी बाबा साहब ने पास करवाया।

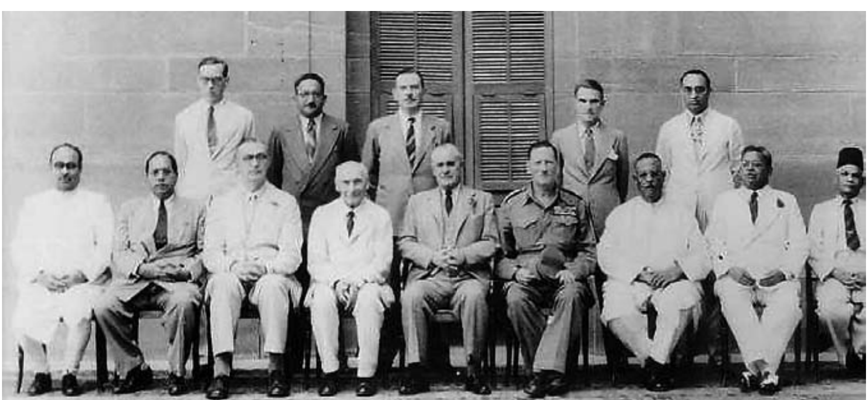

वायसराय लॉर्ड वेवेल कार्यकारी परिषद में अपने सहयोगियों के साथ एक समूह तस्वीर में श्रम मंत्री के रूप में डॉ अंबेडकर (जुलाई 1942)

8. अपनी उचित मांगे मंनवाने के लिए हड़ताल करने के अधिकार को बाबा साहब ने उचित ठहराया।
9. सफाई मजदूर को अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल पर जाना तो दूर, यदि वे एक सप्ताह तक काम पर न आए तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता था। दिल्ली नगरपालिका में भी ऐसा ही एक नियम प्रचलित था। बाबा साहब ने ऐसे सारे काले कानून समाप्त करवाएं। दिल्ली का सर्वप्रथम "सफाई मजदूर संगठन" और "नगरपालिका कामगार यूनियन" भी बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित हुए।
10. पूरे देश में रोजगार दफ्तर (Employment Exchange) खुलवाए।
11. मजदूर कार्यालय (Labour Bureau) खुलवाए।

संक्षेप में कहें तो इस समय मजदूरों को जो कुछ राहत मिली हैं या सुविधाएं प्राप्त हुई हैं इनकी नींव बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने ही डाली थी।

36. बाबा साहब का लॉर्ड लिनलिथगो को ज्ञापन

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो को भारत की अनुसूचित जातियों की भयानक दशा और उनके राजनीतिक स्तर से परिचित कराया। लार्ड लिनलिथगो ने डॉ. अंबेडकर को अनुसूचित जातियों जन जातियों के राजनीतिक, शैक्षणिक तथा अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए एक ज्ञापन देने की सलाह दी। डॉ. अंबेडकर ने संक्षिप्त में एक ज्ञापन (Memorandum) तैयार किया और 29 अक्टूबर 1942 को वायसराय के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत किया और ये प्रमुख मांगे रखीं।

राजनीतिक मांगें:-

1. केंद्रीय विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था।
2. केंद्रीय कार्यकारिणी में अधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था।
3. लोक सेवा में प्रतिनिधित्व का आश्वासन:
   a) अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक घोषित करना तथा 13.5% वैकेंसी निश्चित करना।
   b) आयु सीमा में छूट देना।
   c) सेवा (नौकरी) परीक्षा फीस में छूट देना।
   d) सरकारी सेवा में अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति के अधिकारी की नियुक्ति करना।
   e) फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रतिनिधित्व देना। (UPSC)

शैक्षिक मांगें:-

1. विभिन्न विश्वविद्यालयों में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए वार्षिक ग्रांट में दो लाख रुपए की व्यवस्था करना।
2. विदेशों में पढ़ने वाले साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए वार्षिक ग्रांट में एक लाख रुपए की व्यवस्था करना।
3. भारतीय स्कूलों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना।
4. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में अनुसूचित जाति के दो प्रतिनिधि नियुक्त करना।
5. टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए सुविधाओं का आरक्षण:
   a) केंद्रीय प्रिंटिंग प्रेस में अप्रेंटिस की व्यवस्था और
   b) गवर्नमेंट रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस की व्यवस्था करना।

अन्य मांगें:-

1. अनुसूचित जातियों के प्रति सामाजिक और राजनीतिक शिकायतों के प्रचार की उचित व्यवस्था करना।
2. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के सरकारी ठेकों को लेने में अनुसूचित जातियों के मेंबर्स के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करना।

बाबा साहब के इन प्रयासों से अनुसूचित जातियों के छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका मिला।

37. कैबिनेट मिशन और बाबा साहब

दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने पर पार्टी के अपने घोषणा पत्र के अनुसार ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को पूर्ण आजाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन के रूप में तीन मंत्रियों सर स्टेफॉर्ड क्रिप्स, ए. वी. एलेग्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लोरेंस को ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की समाप्ति और भारत के लिए संविधान सभा के गठन के कार्य को पूर्ण रूप देने के लिए भेजा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से मिला।

5 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन ने डॉक्टर अंबेडकर और मास्टर तारा सिंह का इंटरव्यू लिया। बाबा साहब ने 'ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' की तरफ से अपना मांग पत्र पेश किया और अपनी ये मांगों रखीं:-

1. केंद्र ओर राज्य विधान सभाओं में उचित प्रतिनिधित्व।
2. केंद्र और राज्य लोक सेवा आयोग में उचित प्रतिनिधित्व,
3. अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए धनराशि की व्यवस्था के साथ
4. मुख्य रूप से पृथक निर्वाचन क्षेत्र (Separate Electorate) की मांग रखी।

कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम और सिखों को तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया लेकिन अछूतों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को नजरअंदाज कर दिया।

डॉ. अंबेडकर कैबिनेट मिशन की दलीलों से बहुत परेशान थे। संसद में कैबिनेट मिशन के तर्कों को सुनकर बाबा साहब ने यह निर्णय लिया कि वह इन सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखेंगे। उन्होंने सभी को पत्र लिखे। बाबा साहब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को भी पत्र लिखा लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया।

38. संविधान सभा का चुनाव

कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा (Constituent Assembly) के सदस्यों के लिए चुनाव शुरू हो गए। बाबा साहब ने बंगाल विधान परिषद से अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। कलकत्ता के तिल जिला रोड पुल नंबर 4 स्थित रविदास मंदिर में मीटिंग हुई। वहां पर पंजाब से आए दलितों और बंगाली दलितों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और प्रण लिया कि बाबा साहब को संविधान सभा में जिता कर ही भेजना है।

20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणामों की घोषणा हुई और बाबा साहब डॉ. अंबेडकर विजय हुए। बाबा साहब की संविधान सभा के चुनाव में विजय से सारे देश के दलितों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

जबकि सरदार पटेल ने तो कह दिया था: "मैंने संविधान सभा के सभी दरवाजे तो क्या खिड़कियां और रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, देखते हैं अंबेडकर उसमें कैसे घुसता है?" बाबा साहब की जीत उनके मुंह पर करारी चपत थी।

इस सारे चुनाव अभियान में श्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने दलित आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया क्योंकि उन्हीं के विशेष निवेदन पर बाबा साहब ने बंगाल विधान परिषद से चुनाव लड़ना स्वीकार किया था।

लेकिन इसी दौरान भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण परिसीमन होने पर बंगाल का यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल नहीं होने के बावजूद भी पाकिस्तान में चला गया। जबकि यह परिसीमन नियमों के खिलाफ था। इस कारण बाबा साहब भारतीय संविधान

सभा के सदस्य नहीं रहे। और बाबा साहब डॉ. अंबेडकर मुंबई से दोबारा चुनाव लड़कर संविधान सभा के सदस्य बनकर आए।

39. भारत के प्रथम कानून मंत्री

देश विभाजन की त्रासदी से गुजर रहा था। हालात इतने डरावने और पेचीदा थे कि कांग्रेस को अकेले ही सरकार चलाना कठिन हो रहा था। इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसी नेताओं से सहयोग लेने का निश्चय किया। नेहरू ने बाबा साहब से मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रार्थना की, परिणाम स्वरूप बाबा साहब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 3 अगस्त 1947 को मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा की गई। नए मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बाबा साहब ने कहा: "कांग्रेस सरकार में शामिल होने का यह अर्थ नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूं।"

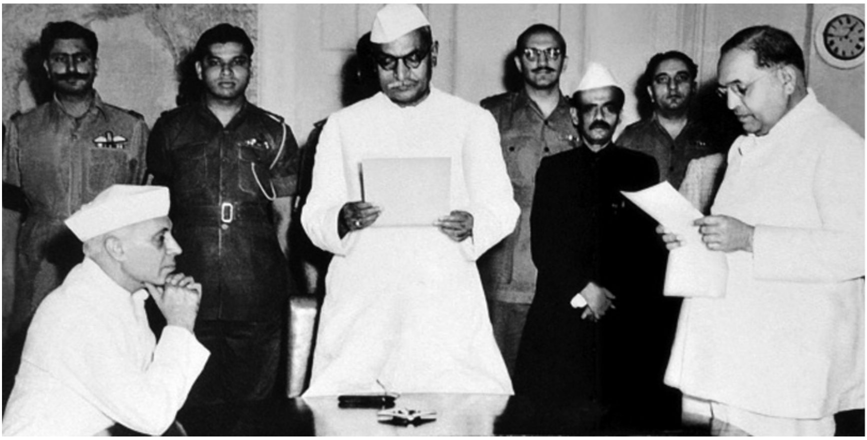

डॉ. भीम राव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री की शपथ लेते हुए

40. संविधान के मुख्य शिल्पकार

30 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉ. अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी (प्रारूप समिति) के अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सात सदस्य थे:

1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष) 2. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 3. एन. गोपाला स्वामी आयंगर 4. के.एम. मुंशी 5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह 6. बी. एल. मित्र 7. डी.पी. खेतान।

ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने संविधान के निर्माण में कितना योगदान दिया इसका अनुमान इन तथ्यों से लगाया जा सकता है:

ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक में शामिल होने के पश्चात बी.एल. मित्र ने 13 अक्टूबर 1947 को त्याग पत्र दे दिया। डी.पी खेतान का देहांत हो गया और उनका स्थान 1949 में टी. टी. कृष्णमाचारी द्वारा भरा गया। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकें 40 दिन निरंतर हुई, 6 बैठकों में केवल 2 और 4 बैठकों में केवल 3 सदस्य ही उपस्थित थे।

बाबा साहब द्वारा किए गए अथक परिश्रम की प्रशंसा करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था :

“सदन यह जानता है कि आपने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 7 सदस्य नियुक्त किए थे उनमें से एक मर गया और उनके स्थान पर एक अन्य सदस्य (टी.टी. कृष्णमाचारी) रखा गया। एक अन्य मर गया परंतु उसका स्थान नहीं भरा गया। एक सदस्य अमेरिका में ही रहा, उसका स्थान भी रिक्त ही रहा। एक अन्य सदस्य अपने राज प्रबंध की समस्याओं से ही निवृत्त नहीं हुआ। उसकी भी कमी रही। एक या दो सदस्य दिल्ली से पर्याप्त दूर रहें और संभवतः स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे इस काम में भाग नहीं ले सके। इस प्रकार संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का काम अंत में डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर ही पड़ गया।”

उपरोक्त विवरण से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माण का काम अकेले ही करना पड़ा।

41. संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा में प्रस्तुत

बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा में 24 नवंबर 1949 को पेश कर दिया और भविष्य में संविधान के प्रति आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने भाषण में आगाह किया, वह इस प्रकार है:

“मैं संविधान सभा और प्रारूप समिति का आभारी हूं कि मुझमें इतना अधिक भरोसा और विश्वास किया तथा देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया।”

“मैं यहां संविधान के गुणों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है, कि कितना भी अच्छा संविधान क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग खराब होंगे, तो वह संविधान खराब सिद्ध होगा, उसी प्रकार कोई संविधान खराब क्यों न हो यदि अच्छे लोगों के हाथ में उसे लागू करने की जिम्मेदारी हो तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा।”

“ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र के बारे में पता नहीं था। एक समय था कि भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे।जहां कहीं राजतंत्र था वह या तो निर्वाचित होते थे या फिर सीमित अर्थों में थे। वे कभी भी पूर्ण राजतंत्र नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि भारत को संसद या संसदीय प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से पता चलता है कि संघ और कुछ नहीं संसद के ही रूप थे। लेकिन साथ ही संघों को

संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हुए डॉ. अंबेडकर

संसदीय प्रक्रिया के नियमों की जानकारी भी थी। तथा इसका पालन भी किया जाता था। भारत ने उस लोकतांत्रिक प्रणाली को खो दिया। क्या वह दोबारा इसे खो देगी? मैं नहीं जानता लेकिन भारत जैसे देश में यह बिल्कुल संभव है, जहां लंबे समय तक लोकतंत्र का प्रयोग नहीं होने के कारण यह बिल्कुल नया लगे, लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही आ जाने का खतरा है।

दूसरी चीज, हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, के चरणों में अर्पित नहीं करो, उसकी शक्ति पर इतना भरोसा मत करो कि वह उन संस्थाओं को ही पराधीन बनाने में समर्थ हो जाए। यह सावधानी भारत के मामले में किसी अन्य देश की तुलना में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति, भक्ति मार्ग या नायक पूजा को राजनीति में बड़ा स्थान है और किसी अन्य देश की तुलना में इसकी भूमिका राजनीति में बहुत अधिक है।"

"धर्म के मामले में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है। लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा गिरावट और तानाशाही लाने का मार्ग है।"

"यदि **राजनीतिक लोकतंत्र की जड़ में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, तो राजनीतिक लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल सकता।** सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जीने का ऐसा तरीका जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी जाए।"

"26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहां समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता व्याप्त होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण

एक व्यक्ति, एक मूल्य का सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोध पूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक व आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे जारी रखेंगे तो, हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें यथासंभव शीघ्र ही अंतर्विरोध को दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा असमानता का दुख झेल रहे लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उखाड़ डालेंगे, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से तैयार किया है।"

"भारत में जातियां राष्ट्र विरोधी है। जातियों के कारण सामाजिक जीवन में अलगाव आता है। क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच ईर्ष्या और वैमनस्यता का भाव पैदा होता है। लेकिन यदि हम वास्तव में एक राष्ट्र बनने के इच्छुक हैं तो, हमें इन सभी कठिनाइयों से उबरना होगा।"

"इस देश में राजनीतिक ताकत लंबे समय तक कुछ लोगों के एकाधिकार में रही है और अधिकतर लोग उसके बोझ से दबे ही नहीं रहे, बल्कि उसके शिकार भी होते रहें हैं, इस एकाधिकार ने न सिर्फ उन लोगों को अपनी बेहतरी के मौके से वंचित होना पड़ा है, इस कारण उन लोगों की जिंदगी अपना महत्व भी खोती जा रही है, ये दलित वर्ग शासित होते-होते थक चुके हैं, उन लोगों में स्वयं शासन करने की तीव्र इच्छा व्याप्त है।... वर्गों में मौजूद इस आत्मभावना को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे सभा में विभाजन हो जाएगा। वह वास्तव में विनाश का दिन होगा।"....

"इसलिए उनकी आकांक्षाओं को जितनी जल्दी हो सके समायोजित किया जाना चाहिए। यह सभी लोगों की बेहतरी, देश की बेहतरी, इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बेहतरी और उसकी लोकतांत्रिक संरचना को जारी रखने की बेहतरी के लिए जरूरी होगा। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और भाईचारा स्थापित करके ही हो सकता है।"

42. संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान

बाबा साहब जीवन भर दलित, पिछड़े अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे ताकि उन्हें मानव के रूप में जीने का अधिकार प्राप्त हो सके, स्वाभिमान के साथ जी सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ कुछ विशेष अनुच्छेदों की व्यवस्था की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

अनुच्छेद 14. समानता का अधिकार- देश में हजारों वर्षों के बाद मानव को विधि (कानून) के समक्ष बराबरी का अधिकार मिला।

अनुच्छेद 15. भेदभाव कि मनाही– जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 16. अवसर की समानता– राज्य के अधीन किसी पद की नियुक्ति में बराबर अवसर, जाति, वंश, धर्म आदि के आधार पर विभेद की मनाही।

अनुच्छेद 16.4 (क) अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण व पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद 17. छुआछात का अंत– छुआछात गैरकानूनी घोषित और दंड का प्रावधान।

अनुच्छेद 21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण– बिना विधि की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति को इनसे वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21.(क) शिक्षा का अधिकार– 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।

अनुच्छेद 46. अनुसूचित जातियों और जनजातियों व कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था।

अनुच्छेद 243. अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद 330 और 332. संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था।

अनुच्छेद 335. अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान।

अनुच्छेद 338. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था।

अनुच्छेद 340. पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़ी जाति आयोग की व्यवस्था।

उपरोक्त अनुच्छेदों के तहत बाबा साहब ने सदियों से असमानता के शिकार लोगों को समानता का अधिकार देकर कमजोर लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था की।

43. नारी सशक्तिकरण के प्रणेता

11 अप्रैल 1947 को डॉ. अंबेडकर ने लोकसभा में हिंदू कोड बिल पेश किया। उन्होंने भारतीय समाज में नारी को सशक्त बनाने हेतु यह बिल तैयार किया था। इस बिल में स्त्री को, अल्पायु में ही विवाह करने पर प्रतिबंध (बाल विवाह), अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनाव एवं अंतरजातीय विवाह का अधिकार, संपत्ति में बेटे के बराबर बेटी का अधिकार तथा गोद लेने एवं संरक्षकता के अधिकार का प्रावधान व एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध था।

16 अगस्त 1951 को हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया। लंबे समय तक इस पर बहस होती रही। महिलाओं को अधिकार देने वाले इस बिल का रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोगों ने भारी विरोध किया। जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने 26 सितंबर 1951 को इस बिल को बिना पास हुए वापस ले लिया।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को बहुत दुख हुआ। हिंदू कोड बिल पास ना होने के कारण डॉ. अंबेडकर का महिला सशक्तिकरण का स्वप्न भंग हो गया। जिसमें उन्होंने एक ऐसा भारत देखा था जो कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सौगात लाने वाला था।

डॉ. अंबेडकर चाहते थे कि हिंदू समाज पुरुष-प्रधान व्यवस्था में ऐसी समानता स्थापित करें, जहां स्त्री ऊंच-नीच, छोटा-बड़ा जैसा कोई भेदभाव ना हो। भारतीय नारी के अधिकारों पर कुठाराघात होता देख बाबा साहब डॉ. अंबेडकर बहुत आहत हुए और उन्होंने दुखी होकर 28 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। आगे चलकर यह बिल अलग-अलग रूपों में पास किया गया।

44. भारतीय ध्वज में अशोक चक्र

स्वतंत्र भारत का ध्वज तय करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने तीन रंगों केसरिया, हरा और सफेद को अंतिम रूप दिया। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर चाहते थे कि भारतीय ध्वज भारतीय इतिहास के महान काल और महान सम्राट को दर्शाए। भारतीय इतिहास में अशोक ही एकमात्र ऐसा सम्राट है जो भारतीय होने के साथ-साथ महान भी है, और उसका काल स्वर्णिम काल था। इसे देखते हुए डॉ. अंबेडकर ने जांच समिति को ध्वज के केंद्र में नीले रंग में अशोक चक्र का सुझाव दिया। और उन्होंने विनम्रता से उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया।

22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज के प्रस्ताव पर बहस हुई। संविधान सभा ने इसके वर्तमान स्वरूप को स्वीकृति दी और यह भारत का अधिकारिक ध्वज बन गया।

45. पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना

राजनीतिक संघर्ष के बावजूद बाबा साहब ने कभी निर्माणात्मक योजनाओं को प्रभावित नहीं होने दिया। लंबे समय से उनकी एक उच्च कोटि का शिक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना थी। इस योजना को उन्होंने 20 जुलाई 1946 को अमली रूप दिया। उस दिन उन्होंने "पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी" की स्थापना की। सर्वप्रथम सोसाइटी ने मुंबई में बुद्ध के बचपन के नाम 'सिद्धार्थ' पर 'सिद्धार्थ कॉलेज' खोला। फिर सिद्धार्थ कॉलेज आफ आर्ट्स एंड कॉमर्स (1951), सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स (1953), सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ (1955) और बाद में वडाला में 'बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स' (1972) शुरू किए। सोसाइटी ने उस महाड में भी एक कॉलेज खोला जिसमें

स्थित चवदार तालाब में से दलितों को पानी की एक बूंद से भी वंचित रखा गया था।

सोसाइटी ने बाबा साहब के नेतृत्व में औरंगाबाद में भी एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया जिसका नाम विश्व प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु 'नागसेन' के नाम पर 'नागसेन वन' रखा गया। बाबा साहब ने निजाम हैदराबाद से नाममात्र कीमत पर 150 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी और वहां कॉलेज स्थापित किया। उसका नाम 'मिलिंद महाविद्यालय' रखा। मिलिंद वह महान सम्राट थे, जिसके बौद्धभिक्षु नागसेन के साथ प्रश्नोत्तर प्रसिद्ध है।

15 अप्रैल 1951 को बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने रानी झांसी रोड नई दिल्ली में समाज के संगठन और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यालय के रूप में स्वयं 'अंबेडकर भवन' की नींव रखी ताकि सामाजिक आंदोलन के लिए लोगों को संगठित कर तैयार किया जा सके।

46. बुद्ध धम्म की ओर

14 अक्टूबर 1956 का दिन डॉ. अंबेडकर ने बुद्ध धम्म में दीक्षा लेने के लिए निश्चित किया। उन्होंने यह भी बताया कि वह 9 से 11 बजे नागपुर शहर में बुद्ध धम्म में दीक्षा लेंगे। उनकी पहली प्राथमिकता नागपुर शहर की थी क्योंकि नागपुर बौद्ध नागाओं का पुरातन काल का एक ऐतिहासिक शहर था।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर अपनी पत्नी तथा नानक चंद रत्तू सहित 11 अक्टूबर दोपहर को नागपुर पहुंच गए। लाखों लोग धूमधाम से नागपुर पहुंचे। नागपुर को आने वाली

नागपुर में दीक्षा समारोह के दौरान श्रीमती सविता अम्बेडकर के साथ डॉ. अंबेडकर

गाड़ियों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। नागपुर पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपने आभूषण बेच दिए। हजारों लोग ऐसे भी थे जिनके पास रेल के किराए के लिए पैसे नहीं थे फिर भी वह मीलों पैदल चलते हुए "भगवान बुद्ध की जय - बाबा साहब की जय" के नारे लगाते हुए दीक्षा स्थल पर पहुंचे। लोग इस प्रकार जत्थे बना-बना कर आ रहे थे, वह इस प्रकार झूमते-गाते, उछलते-कूदते यात्रा कर रहे थे जैसे वे जीवन की कोई अति प्रसन्न और महत्वपूर्ण यात्रा कर रहे हो। वे प्रसन्न क्यों ना होते, यह दिन उनकी धार्मिक दासता के अंत का दिन था और उनके मुक्ति दिवस का महान पर्व था।

नागपुर जो महान और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन का भी प्रसिद्ध स्थान रहा था। 14 अक्टूबर 1956 को एक महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक केंद्र बन गया। जैसे-जैसे बुद्ध धम्म अपनाने वालों के जत्थे दीक्षा स्थल की ओर बढ़ रहे थे वैसे-वैसे लोगों का जोश बढ़ता जा रहा था। नारे लग रहे थे, "आकाश पाताल एक करो -बौद्ध धर्म ग्रहण करो"

13 अक्टूबर की शाम को बाबा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनका बुद्ध धम्म वैसा ही होगा जैसा बुद्ध ने स्वयं प्रचार किया और जो सिद्धांत उन्होंने स्वयं बनाए। हम हीनयान और महायान के बंटवारे में नहीं पड़ेंगे बल्कि बुद्धयान यानी बुद्ध की ओर से दी गई धम्म दीक्षा पर ही चलेंगे।

14 अक्टूबर को बाबा साहब सफेद कपड़ों में नानक चंद रत्तु के कंधों पर हाथ रखकर पंडाल में पहुंचे। "बाबा साहब की जय" "बुद्ध की जय" के नारों से पंडाल गूंज उठा। सवा नौ बजे का समय हो चुका था। मंच पर दो शेरों के बीच में बुद्ध की मूर्ति विराजमान थी। बाबा साहब ने सबसे वृद्ध बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि से, जो उस समय उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के कुशीनारा से आए थे, से दीक्षा देने की प्रार्थना की।

बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि ने बाबा साहब और वहां पहुंचे 10 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की "त्रि-शरण" और "पंचशील" का उच्चारण करवा कर बौद्ध-धम्म में प्रवेश करवाया। डॉ. अंबेडकर द्वारा बुद्ध धम्म को ग्रहण करने के पश्चात लोगों ने उन्हें फूलों से लाद दिया। बुद्ध धम्म में दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब ने कहा "मैंने यह प्रण किया था कि मैं हिंदू पैदा अवश्य हुआ हूं परंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मैं आज अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा हूं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मैं नरकीय जीवन से मुक्त हो गया हूं और मेरा नया जन्म हुआ है।"

15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने दस लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाबा साहब ने दीक्षा लेने वालों को 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाई। बाबा साहब द्वारा दी गई प्रतिज्ञाएं हैं:

22 प्रतिज्ञाएं

1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा।
2. मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा।
3. मैं गौरी, गणपती आदि हिंदू धर्म के किसी देवी-देवता को नहीं मानूंगा न कभी उनकी पूजा करूंगा।
4. ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा।
5. मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं।
6. मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और कभी पिंडदान नहीं करूंगा।
7. मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा।
8. मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा।
9. मैं इस सिद्धांत को मानूगा कि सभी मनुष्य एक समान है।
10. मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा।
11. मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा।
12. मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई दस पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा।
13. मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन - पालन करूंगा।
14. मैं चोरी नहीं करूंगा।
15. मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
16. मैं व्यभिचार नहीं करूंगा।
17. मैं शराब नहीं पिऊंगा।
18. मैं अपने जीवन को बौद्ध धम्म के तीन तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा/करूंगी।
19. मैं मनुष्य के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्य को ऊंच-नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बौद्ध धम्म को स्वीकार करता हूं।
20. मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धम्म ही सद्धम्म है।
21. मैं यह मानता हूं कि मेरा नया जन्म हो रहा है
22. मैं यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूंगा।

16 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने महाराष्ट्र के नगर चंद्रपुर में भी लाखों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। बाबा साहब ने बताया कि यदि वह जीवित रहे तो पांच वर्षों में कम से कम पांच करोड लोगों को बौद्ध बना देंगे।

बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया तथा धार्मिक रूप से उपेक्षित लोगों को बुद्ध के समानता, ज्ञान और करुणा पर आधारित मानवतावादी वैज्ञानिक दर्शन से परिचित कराया। त्रिपिटक के रूप में महान बौद्ध साहित्य, अंजता और एलोरा जैसे अनुपम कला के नमूने, गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे महान बौद्ध विहार, सांची के स्तूप, महाराजा अशोक की लाट और हजारों अन्य बौद्ध केंद्र तथा ऐतिहासिक स्मारक आज बौद्धों के धम्म के महान प्रतीक हैं।

47. बुद्ध धम्म ही क्यों?

हम बुद्ध धम्म ही क्यों अपना रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध धम्म का मूल आधार दुख दूर करना है और वही धर्म मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य के दुखों को दूर करें। मैं बौद्ध धम्म को इसलिए प्राथमिकता देता हूं क्योंकि इसमें तीन सिद्धांत एक साथ मिलते हैं जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलते। बाबा साहब ने कहा चूंकि यह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। समानता, न्याय और प्रज्ञा (तर्क) पर आधारित है। इसमें भाईचारा,मानव प्रेम और अपनत्व है। यह भ्रम के जाल में नहीं फंसाता। इसमें कर्मकांड और पाखंड नहीं, यह पुरोहित और धार्मिक ग्रंथों की दासता में नहीं जकड़ता, न ही स्वर्ग या मुक्ति का प्रलोभन देता है। इसमें जादू-टोने के लिए कोई स्थान नहीं। बुद्ध धम्म आत्मा परमात्मा के चक्रों में भी नहीं उलझाता। यह धम्म आरंभ, मध्य और अंत में कल्याणकारी है।

बुद्ध धम्म ही ऐसा धम्म है जिसमें जाति-पाति और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं। यह सब को उन्नति के एक जैसे अवसर प्रदान करता है। बुद्ध ने अपने धम्म में अपने आप को भी कोई विशेष स्थान या दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल मार्गदर्शक हैं, मुक्तिदाता नहीं।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर बेंगलौर कर्नाटक में एक बौद्ध अनुसंधान केंद्र स्थापित करना चाहते थे, जहां बौद्ध प्रचारकों को शिक्षा दी जा सके। इस कार्य के लिए उन्होंने मैसूर के महाराजा से पांच एकड़ भूमि का एक टुकड़ा भी प्राप्त किया था। जापान के बौद्ध नेता डॉक्टर फेलिक्स वायली के साथ भी उन्होंने बातचीत की। बाबा साहब ने कहा कि वह भारत में बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में बौद्ध चिन्ह तथा राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र का चिन्ह तथा 'बुद्ध जयंती' पर समस्त देश में अवकाश आदि बाबा साहब के सफल प्रयास है। बाबा साहब ने बताया कि बुद्धिज्म को ठीक तरह से समझने के लिए तीन पुस्तकों:

(1) बुद्ध और उनका धम्म

(2) बुद्ध और कार्ल मार्क्स

(3) प्राचीन भारत में क्रांति और प्रति क्रांति, को अवश्य पढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण कर ली है उन्हें बुद्ध धम्म से अन्य लोगों को अच्छी प्रकार परिचित करवाने के लिए साधनों तथा ढंगो पर विचार करना चाहिए। भिक्षु संघ को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और भिक्षुओं को भी सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहने की अपेक्षा ईसाई मिशनरियों की भांति सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रचारकों एवं उपदेशकों की भांति काम करना चाहिए।

जब एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि विभिन्न देशों में बुद्ध की मूर्तियां अलग-अलग आकारों की क्यों है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि बुद्ध के परिनिर्वाण के 600 वर्ष बाद तक ना तो बुद्ध की कोई तस्वीर थी और न ही कोई मूर्ति थी। इसके बाद बुद्ध की किसी ने काल्पनिक मूर्ति बनाई और फिर अलग-अलग बुद्ध के मानने वाले देशों ने अपने-अपने देशों में प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार मूर्तियां बना ली।

48. चौथे बौद्ध सम्मेलन में संबोधन

14 नवंबर 1956 को, डॉ. अंबेडकर अपनी टीम के साथ 15 नवंबर 1956 को काठमांडू में होने वाले चौथे बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने बाबा साहब को "बुद्ध और कार्ल मार्क्स" विषय पर अपना वक्तव्य देने को कहा। बाबा साहब ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों के लक्ष्य एक ही थे परंतु उनको प्राप्त करने के तरीके अलग-अलग थे। कार्ल मार्क्स और बुद्ध दोनों ही संपत्ति को दुख का मूल कारण मानते थे। कार्ल मार्क्स इसका हल हिंसक तरीके से करना चाहते थे। दूसरी और बुद्ध इसका हल अहिंसक तरीके से करना चाहते थे। बुद्ध के अनुसार मन और मन में सुधार के बिना दुनिया का सुधार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बौद्ध पद्धति सबसे सुरक्षित और सुदृढ़ है। बुद्ध और उनके धम्म के बिना मानवता के लिए शांति से रहना असंभव है। सम्मेलन में बाबा साहब के इस भाषण की भरपूर प्रशंसा हुई।

49. महापरिनिर्वाण- 6 दिसंबर 1956

6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। जिस ज्योति ने कई वर्षों तक करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया जो कई दशक प्रकाश ही प्रकाश फैलाती रही, अचानक बुझ गई। वह महापुरुष जिसने ज्ञान के अनेकों भंडार लोगों के लिए पैदा किए वह चला गया। बेसहारों का सहारा जाता रहा, शोषितों को झंजोड़ने वाली गर्जना चुप हो गई। करोड़ों लोगों की आशाओं का सूर्य डूब गया। जो अभी नहीं होना चाहिए था वह हो गया। उनकी मृत्यु ने करोड़ों लोगों को अनाथ बना दिया।

बाबा साहब डॉ. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण

26 अलीपुर रोड दिल्ली में कोहराम मच गया। अलीपुर रोड पर यातायात रुक गया। हजारों लोग बाबा साहब के दर्शन को आने लगे। 26 अलीपुर रोड में लोगों का विलाप सुना नहीं जाता था। बाबा साहब के अनुयाई रो रहे थे क्योंकि उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। हजारों की संख्या में लोग पंक्ति बनाकर खड़े थे ताकि वह अपने पथप्रदर्शक के अंतिम दर्शन कर सकें।

लाखों लोग "बाबा साहब अमर रहे" के नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में 26 अलीपुर रोड से चले और 5 घंटों में जुलूस सफदरजंग हवाई अढ्ढे (दिल्ली) पर पहुंचा। हवाई जहाज रात को रवाना हुआ। लाखों लोगों ने अपने मार्गदाता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी शोक यात्रा पहले कभी नहीं निकली।

हवाई जहाज 7 दिसंबर 1956 को प्रातः तीन बजे मुंबई के सांताक्रूज हवाई अढ्ढे पर पहुंचा और अर्थी राजगृह ले जाई गई। पूरे महाराष्ट्र में हड़ताल हो गई बाबा साहब का शव ट्रक पर रखा गया। शव यात्रा डेढ़ बजे दोपहर को आरंभ हुई। सारी मुंबई में यातायात रुक गया पुलिस के प्रबंध असफल हो गए। 5 घंटों से भी अधिक समय में जुलूस विंसेंट रोड, पॉयबा वाडी, एलफिंस्टन पुल, सायन रोड और गोखले रोड से होता हुआ दादर स्थित श्मशान घाट पहुंचा। मुंबई पुलिस के एक दस्ते ने सलामी दी। बाबा साहब के इकलौते पुत्र यशवंत राव अंबेडकर ने शाम साढ़े सात बजे चिता को अग्नि दी। बाबा साहब के अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए लाखों लोगों ने वहीं पर डॉ. भदंत आनंद कौशल्यायन से बुद्ध धर्म की दीक्षा ली।

करोड़ों लोगों को जगाकर बाबा साहब सदा की नींद सो गए मानो इतिहास की पुस्तक बंद हो गई।

डॉ. अंबेडकर दलितों और उपेक्षित लोगों के मार्गदर्शक बने। वे संविधान के मुख्य शिल्पकार और सामाजिक दासता व दमन के विरुद्ध विद्रोह के चिह्न बने। उनका कहना था कि "छिने हुए अधिकार अत्याचारियों से भीख मांगने से नहीं मिला करते बल्कि उनसे छीनने पढ़ते हैं" उन्होंने अपने जीवन का एक-एक पल जनसाधारण व महिलाओं की आजादी और प्रगति के लिए न्यौछावर किया।

बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनके द्वारा मानवता के लिए किया गया संघर्ष आज न केवल भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। एक ऐसा जीवन जो मानव को मानव कहलाने का हक दे गया, एक ऐसा जीवन जो करोड़ों शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त कर गया, एक ऐसा संघर्ष जिसने ज्ञान के बल पर भारत की सदियों पुरानी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। ऐसे महामानव दुनिया में बार बार पैदा नहीं होते। अब आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर उनके सपनों के भारत का निर्माण करना होगा, हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके ऋण को चुकाने का प्रयास करें और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करें। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनके द्वारा किया गया संघर्ष अनंत काल तक भारत के सभी लोगों को शोषण मुक्त समतामूलक सशक्त समाज निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा।

भवतु सब्ब मंगलं।

बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय

खंड 01. भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा-उन्मूलन, भाषाई प्रांतों पर विचार, रानाडे, गांधी और जिन्ना आदि
खंड 02. संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं
खंड 03. डॉक्टर अंबेडकर- बंबई विधान मंडल में
खंड 04. डॉक्टर अंबेडकर- साइमन कमीशन (भारतीय सांविधिक आयोग) के साथ
खंड 05. डॉक्टर अंबेडकर- गोलमेज सम्मेलन में
खंड 06. हिंदुत्व का दर्शन
खंड 07. क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि
खंड 08. हिंदू धर्म की पहेलियां
खंड 09. अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी
खंड 10. अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट
खंड 11. ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रबंध
खंड 12. रुपए की समस्या: इस का उद्‌भव और समाधान
खंड 13. शूद्र कौन थे?
खंड 14. अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने?
खंड 15. पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन
खंड 16. कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?
खंड 17. गांधी एवं अछूतों का उद्धार
खंड 18. डॉक्टर अंबेडकर- सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल में
खंड 19. अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार आदि
खंड 20. डॉक्टर अंबेडकर- केंद्रीय विधानसभा में (1)
खंड 21. डॉक्टर अंबेडकर -केंद्रीय विधानसभा में (2)
खंड 22. बुद्ध और उनका धम्म
खंड 23. प्राचीन भारतीय वाणिज्य, अस्पृश्य तथा पैक्स ब्रिटानिका, ब्रिटिश संविधान भाषण
खंड 24. सामान्य विधि, औपनिवेशिक पद, विनिर्दिष्ट अनुतोषविधि, न्यास-विधि टिप्पणियां
खंड 25. ब्रिटिश भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रिया पर टिप्पणियां, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना-विविध टिप्पणियां
खंड 26. प्रारूप संविधान: भारत के राजपत्र में प्रकाशित 28 फरवरी 1948
खंड 27. प्रारूप संविधान खंड प्रति खंड चर्चा (09-12 -1946 से 31-07 -1947)
खंड 28. प्रारूप संविधान - भाग 2 (खंड 5) (16- 5 -1949 से 18- 06 -1949)
खंड 29. प्रारूप संविधान - भाग 2(खंड 6)(30-07 -1949 से 18-09 -1949)
खंड 30. प्रारूप संविधान - भाग 2 (खंड 7) (17- 09 -1949 से 16 -11 -1949)
खंड 31. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग- 1)
खंड 32. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग -2)
खंड 33. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर: लेख और वक्तव्य (20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951)
खंड 34. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर: लेख और वक्तव्य (07 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951)
खंड 35. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानव अधिकारों के परिपेक्ष्य में
खंड 36. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी समतावादी क्रांति: सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों के परिपेक्ष्य में
खंड 37. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी समतावादी क्रांति-भाषण
खंड 38. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर: लेख और वक्तव्य, भाग-1 (वर्ष 1920- 1936)
खंड 39. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर: लेख तथा वक्तव्य, भाग-2 (वर्ष 1937 से 1945)
खंड 40. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर: लेख तथा वक्तव्य, भाग-3 (वर्ष 1946 से 1956)

बाबा साहब का संदेश

“अपने बच्चों को स्कूल भेजो। पुरूष के लिए शिक्षा जितनी आवश्यक है उतनी ही वह महिलाओं के लिए भी है। यदि आप पढ़ने लिखने लगो तो बड़ी मात्रा में प्रगति होगी। जिस प्रकार आप होंगे उसी प्रकार आपके बच्चे भी होंगे। सद्गुण के मार्ग पर बच्चों को अग्रसर करो। आपके बच्चे ऐसे बनें, जिनका संसार भर में नाम हो।”

* * * * *

“नवयुवकों और विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने समुदाय की सेवा का भाव अपने मन में जगायें, समुदाय की बेहतरी का भार उन्हीं के कंधों पर होगा और वे किसी भी जगह और किसी भी हैसियत में क्यों न रहें, उन्हें इस बात को किसी भी हालत में हरगिज नहीं भूलना चाहिए।”

* * * * *

“लगता है हमारे लोगों को अपने बाप-दादाओं के गांवों से बहुत लगाव है जिस गांव में उन्हें अपमानपूर्ण और स्वाभिमान शून्य जीवन जीना पड़ता है, वह गांव किस काम का।”

* * * * *

“हमारे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का 5% हिस्सा समाज के उत्थान के लिए दान करना चाहिए।”

बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर

दीक्षा-भूमि, नागपुर महाराष्ट्र

अत्त दीपो भव

समपूर्ण अम्बेडकरवाद केवल बुद्ध धम्म के साथ

COMPLETE AMBEDKARISM, ONLY WITH BUDDHISM

Social Action Groups for Ambedkarite Reform (SAGAR)
Regd. Office : H. No. 106, Sector-21B, Faridabad-121001, Haryana (INDIA)
E-mail : sbssagar2020@gmail.com
Ph.: 0129-4038106, 9999019782